

संगम झापन एवं संगम अनुच्छेद  
**MEMORANDUM OF ASSOCIATION  
AND  
ARTICLES OF ASSOCIATION**

कम्पनी अधिनियम 1956

की धारा 25 के अन्तर्गत

बिना लाभ की एक कम्पनी

**A Company not for  
Profit under Section 25 of  
the Companies Act, 1956**

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम**

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

**NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**  
(A Government of India Undertaking, Ministry of Social Justice and Empowerment)



प्रारूप एक

Form 1

निगमन का प्रमाण-पत्र

## Certificate of Incorporation

सं० 55-47146 शक 19 13  
No. 55-47146 of 19 91-92

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आज नेशनल बैकवर्ड क्लासिफाइड फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की धारा 25

कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई है और यह कम्पनी ~~खरिदोपिमत है~~ बिना लाभ की है।

I hereby certify that NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

section 25 of is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the Company is ~~खरिदोपिमत है~~ not for profit.

मेरे हस्ताक्षर से आज ता. 23 पौष, 1913 को दिया गया।

Given under my hand at NEW DELHI this THIRTEENTH day of JANUARY One thousand nine hundred and NINETY TWO.



*V.S. Galgali*

। वी. एस. गलगली ।  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा  
( V.S. GALGALI )  
Registrar of Companies  
DELHI & HARYANA

(A Company Limited by Shares not for Profit under Section 25 of  
the Companies Act.,1956)

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF NATIONAL BACKWARD CLASSES  
FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**

- I. The name of the Company is NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (N B C F D C)
- II. The REGISTERED OFFICE of the Company will be situated within or on the outskirts of the Union Territory of Delhi.

III. (A) **MAIN OBJECTS**

**The main objects to be pursued by the Company on its incorporation are:**

- (i) To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes;
- (ii) To assist, subject to such income and/or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individual or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects. Under Micro Financing Schemes, Self-Help Groups having members of target group to the extent of at least 60% could be considered for financial support. The groups of the individuals belonging to the backward classes will include such groups in which predominantly (60% and above) members belong to Backward Classes provided other members belonging to weaker sections (as per income and /or economic criteria prescribed by Government) including Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Minorities and Disabled Persons.
- (iii) To promote self-employment and other ventures for the benefit of Backward Classes;
- (iv) To grant concessional finances in selected cases for persons belonging to Backward Classes below the poverty line in the Country in collaboration with Government Ministries/Departments at the National and State level to the extent of the budgetary assistance granted by the Government of India to the Company;
- (v) To extend loans to the Backward Classes for pursuing general/ professional/technical education or training at graduate and higher levels;
- (vi) To assist in the up-gradation of technical artisanal, entrepreneurial and managerial skills of products / services including all forms of skill development and up-gradation, primarily to the Socially and Educationally Backward Classes as defined at Clause III (A) (ii) & Economically Backward Classes (EBCs) within the prescribed income ceiling, as defined by the Government from time to time and additionally to De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs), Transgenders, Victims of Substance Abuse, Senior Citizens & Beggars irrespective of caste, category and income limits.

(कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत शेयरों द्वारा परिसीमित बिना लाभ की एक कम्पनी)

**नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**

**(एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) का संगम जापन**

- I. कम्पनी का नाम 'नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) है।
- II. कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के भीतर या उसके बाह्यआंचल में स्थित होगा।
- III. **(क) मुख्य उद्देश्य :**  
**कम्पनी द्वारा अपने निगमन पर जारी रखे जाने वाले मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-**
  - (i) पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना;
  - (ii) पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना। माइक्रो फाइनेन्सिंग योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह जिनमें कम से कम 60% लक्षित वर्ग हो, वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जा सकेंगे। पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के समूह में ऐसे समूहों को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें अधिकांशतः (60% एवं अधिक) सदस्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होंगे तथा अन्य सदस्य कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, अल्पसंख्यक एवं अक्षम व्यक्ति सम्मिलित होंगे;
  - (iii) पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए स्वरोजगार तथा दूसरे काम के अवसरों को प्रोत्साहित करना;
  - (vi) चुने हुए मामलों में, देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुदत्त बजटीय सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त उपलब्ध कराना;
  - (v) पिछड़ी जातियों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए ऋणों का विस्तार करना;
  - (vi) उत्पादों/सेवाओं जिसमें सभी प्रकार के कौशल विकास एवं उन्नयन सम्मिलित हैं, प्रमुखतः सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसा कि परिच्छेद III (A)(ii) में परिभाषित किया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई.बी.सी.) को विनिर्धारित आय सीमा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा एवं इसके अतिरिक्त गैर-अधिसूचित, घुमन्तू एवं अर्द्ध-घुमन्तू जनजातियों (डी.एन.टी.), ट्रांसजेण्डर, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं भिखारियों को उनकी जाति, श्रेणी एवं आय सीमा को ध्यान में रखे बिना तकनीकी दस्तकारी, उद्यमीय एवं प्रबंधकीय कौशल उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना.

- (vi-a) The corporation may impart such training as mentioned at sub-clause (vi) above to all weaker sections of the society wherein minimum 60% members belong to Socially and Educationally backward classes and balance may be from other weaker sections including DNT, EBC (as defined at III (A) (ii)), SC, ST, Transgenders, Victims of Substance Abuse, Senior Citizens, Beggars, etc. in the case of projects executed using Corporate Social Responsibility (CSR) funds of donor PSUs Agencies.
- (vii) To assist the State level organizations dealing with the development of the Backward Classes by way of providing financial assistance and in obtaining commercial funding or by way of refinancing;
- (viii) To work as an apex institution for coordinating and monitoring the work of all Corporations/Boards set up by the State Government/Union Territory Administrations for Schedule Castes, Schedule Tribes, Backward Classes and Minorities in so far as it relates to the economic development of the Backward Classes;
- (ix) To help in furthering the Government policies and programmes for the development of Backward Classes.

**(B) ANCILLARY OBJECTS**

**The objects incidental or ancillary to the attainment of the Main Objects are:**

- (i) To procure all pre-requisites for attainment of above objects from inside or outside the country or both as the Corporation may deem fit.
- (ii) To undertake financial and commercial obligations, transactions and operations of all kinds connected with the attainment of such pre-requisites.
- (iii) To establish branches, offices or agencies of the Corporation at any place in India and to discontinue the same.
- (iv) To promote and establish such government organizations, advisory boards and other suitable bodies in the different States as well as Union Territories as may be deemed necessary in carrying out the aforesaid effectively.
- (v) To invest the moneys of the Company, not immediately required, in such manner, other than in the share of the company as from time to time may be determined.

Provided that the company shall not support with its funds, or endeavour to impose on, or procure to be observed by, its members or others, any regulation or restriction which, if an object of the company, would make it a Trade Union Other manner.

- (vi-अ) प्रदाता पी.एस.यू. एजेंसियों से निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के मामले में निगम समाज के सभी वर्गों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है जैसा कि उपरोक्त उप-परिच्छेद (iv) में उल्लेख किया गया है; जिसमें कम से कम 60% सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग सम्मिलित हों एवं शेष अन्य कमजोर वर्गों जिसमें डी.एन.टी., ई.बी.सी. (जैसा कि परिच्छेद III (A)(ii) में परिभाषित किया गया है), एस.सी., एस.टी. ट्रांसजेण्डर, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी इत्यादि सम्मिलित हो सकते हैं।
- (vii) पिछड़ी जातियों के विकास से जुड़े राज्य स्तरीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वाणिज्यिक निधि प्राप्त करने में या पुनः वित्त उपलब्ध कराकर सहायता करना;
- (viii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डों के कार्य में, पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास की सीमा तक, सहयोग करने तथा इसकी देखरेख करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना;
- (ix) पिछड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

**(ख) सहायक उद्देश्य :**

**मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रासंगिक या सहायक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-**

- (i) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश के भीतर या बाहर से या दोनों से, जैसा निगम उचित समझे सभी पूर्वपेक्षाओं को पूरा करना।
- (ii) ऐसी पूर्वापेक्षाओं को प्राप्त करने से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय एवं वाणिज्यिक कर्तव्यों, दायित्वों, तथा प्रचालनों को आरंभ करना।
- (iii) भारत के किसी भी भाग में निगम की शाखाओं, कार्यालयों या अभिकरणों की स्थापना करना तथा उन्हें बन्द करना।
- (iv) उपर्युक्त कार्यों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार सरकारी संगठनों, सलाहकार बोर्डों तथा दूसरे निकायों की विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में स्थापना करना तथा उन्हें बढ़ावा देना।
- (v) कम्पनी की उन धनराशियों, जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, का उस प्रकार जैसा कि समय-समय पर तय किया गया है कम्पनी के शेयर से अन्यथा, निवेश करना।

परन्तु कम्पनी अपने सदस्यों या अन्य किसी नियमन या प्रतिबंध को जिसका उद्देश्य कम्पनी को एक ट्रेड यूनियन बनाना है, अपनी निधियों या इसे लागू करने के प्रयत्न, या इसे अवलोकन द्वारा प्राप्त करने के माध्यम से सहायता नहीं करेगी।

**(C) OTHER OBJECTS : NIL**

- (IV) The objects of the Company extend to whole of India.
- (V)
  - (1) The income and property of the Company, whensoever derived, shall be applied solely for the promotion of its objects as set forth in this Memorandum.
  - (2) No portion of the income or property aforesaid shall be paid or transferred by way of dividend, bonus or otherwise, to members of the Company. This will be no bar to payment of reasonable compensation to members as per decisions of the Board.
  - (3) Except with the previous approval of the Central Government, no member shall be appointed to any office under the Company which is remunerated by salary, fees, or in any other manner.
  - (4) Except with the previous approval of the Central Governments, no member shall be appointed to any office under the Company which is remunerated by salary fees, or in any other manner not excepted by sub clause (3).
  - (5) Nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of reasonable remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being a member) in return for any services actually rendered to the company.
- (VI) No alternation shall be made to this Memorandum of Association or to the Articles of Association of the Company which are for the time being in force, unless the alternation has been previously submitted to and approved by the Central Government.
- (VII) The liability of the members is limited.
- (VIII) The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 15,00,00,00,000/- (Rupees Fifteen Hundred Crores only) divided into 150 lacs Equity Shares of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand only) each.
- (IX) True accounts shall be kept of all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which such receipts and expenditure take place, and of the property, credits and liabilities of the Company : and, subject to any reasonable restrictions, the accounts shall be open to the inspection of the members. Once at least in every year, the accounts of the Company shall be examined and the correctness of the balance sheet and the income and expenditure account ascertained by one or more properly qualified auditor or auditors.
- (X) If upon winding-up or dissolution of the Company, there remains, after the satisfaction of all the debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be distributed amongst the members of the Company but shall be given or transferred to the Central Government.
- (XI) We, the several persons whose names, addresses and descriptions are subscribed hereto are desirous of being formed into a Company not for profit in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names :

**(ग) अन्य उद्देश्य : कुछ नहीं**

(IV) कम्पनी के उद्देश्यों का विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।

- (v)
1. कम्पनी की आय तथा सम्पत्ति, जब भी प्राप्त की जाए, पूरी तरह इस संगम ज्ञापन में वर्णित इसके उद्देश्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त की जाएगी।
  2. उपर्युक्त आय अथवा सम्पत्ति के किसी भाग का भुगतान या हस्तांतरण लाभांश, अधिलाभ के तौर पर अथवा अन्य प्रकार से कम्पनी के सदस्यों को नहीं किया जाएगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार सदस्यों को उचित मुआवजे के भुगतान पर प्रतिबंध नहीं होगा।
  3. केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी भी सदस्य को कम्पनी के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो वेतन, शुल्क या अन्य किसी रीति से पारिश्रमिक प्राप्त करते हो।
  4. केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी भी सदस्य को कम्पनी के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो वेतन, शुल्क या अन्य किसी रीति से पारिश्रमिक प्राप्त करने हो और जो उप-खण्ड (3) से भिन्न नहीं हो।
  5. इस खण्ड का कोई भी भाग कम्पनी द्वारा सद्भावना से अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों (जो सदस्य न हों) को या किसी अन्य व्यक्ति (जो सदस्य न हों) को कम्पनी को सपर्पित उसकी किन्हीं वास्तविक सेवाओं के बदले उचित पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेंगा।

(VI) कम्पनी के इस संस्थागत संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेदों, जो तात्कालिक तौर पर व्यवहार में हैं, में तब तक कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा जब तक उसे केन्द्र सरकार को पहले प्रस्तुत न कर दिया गया हो और उस पर अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो।

(VII) सदस्यों का दायित्व सीमित है।

(VIII) कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी रु. 15,00,00,00,000/- (केवल पंद्रह सौ करोड़ रूपया) है जो रु. 1,000/- (केवल एक हजार रूपया) प्रत्येक के 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख) समान शेयरों में विभाजित है।

(IX) कम्पनी द्वारा प्राप्त और खर्च की गई तमाम धनराशियों के सही लेखे रखे जाएंगे और वे मामले जिनके सम्बंध में ये प्राप्तियां तथा व्यय होते हैं, तथा कम्पनी की सम्पत्ति जमा शेष तथा देयताओं संबंधी लेखों, किसी भी उचित प्रतिबंध के अधीन सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। एक वर्ष में कम से कम एक बार कम्पनी के लेखों की लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा तुलन-पत्र व आय एवं व्यय लेखों की विधिवत् परिशुद्धता एक या अधिक योग्य लेखा-परीक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(X) यदि कम्पनी का परिसमापन या विघटन होता है तो क्षतिपूर्ति या सभी कर्ज व देनदारियां चुकाने के बाद जो कुछ भी सम्पत्ति बचती है, वह कम्पनी के सदस्यों में बांटी नहीं जाएगी बल्कि केन्द्र सरकार को प्रदान या हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(XI) हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते तथा विवरण यहां दिए गए हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में बिना लाभ की एक कम्पनी गठित करने के इच्छुक हैं तथा इस क्रम में क्रमशः अपने नामों के आगे वर्णित संख्या में कम्पनी की पूँजी के अंश लेने को सहमत हैं :



Sl. No.	Name, address, description and occupation of subscriber	Number of equity shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Name, address description and occupation of Witnesses and their signature
1	2	3	4	5
1.	President of India represented by Mrs, Usha Vohra W/o Mr. N.N. Vohra Secretary, to Govt. of India, Ministry of Welfare Shastri Bhawan, New Delhi.	Nine (9)	Sd/-	I witness that the subscribers have signed in my presence at New delhi.
2.	Sh. M.S. Pandit S/o (Late) Mr. M.M.Pandit Joint Secretary to Govt. of India Ministry of Welfare Shastri Bhawan, New Delhi.	One (1)	Sd/-	Sd/- RAKESH DHNGRA S/o Shri C.L. Dhingra R/o 324, Tarun Enclave, Pitampura, Delhi-110034 FICWA /6446 ACS/ 6008

Date : 15.11.1991

Place : New Delhi

क्र.स.	अंशदाता का नाम, पता, विवरण तथा व्यवसाय	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए समान शेयरों की संख्या	अंशदाता के हस्ताक्षर	गवाह का नाम, पता, विवरण व व्यवसाय तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1.	भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से उनकी प्रतिनिधि श्रीमती उषा वोहरा (पत्नी श्री एन.एन. वोहरा) सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	नौ (9)	ह0/-	मैं गवाही देता हूँ कि अंशदाताओं ने नई दिल्ली में मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।
2.	श्री एम.एस. पंडित (पुत्र स्व. एम.एम. पंडित) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	एक	ह0/-	ह0/- राकेश ढींगरा पुत्र सी.एल. ढींगरा, निवासी-324ए तरुण एनक्लेव, पीतम पुरा, दिल्ली-110034, एफ आई सी डब्ल्यू ए/6446 ए सी एस/6008

दिनांक : 15.11.1991

स्थान : नई दिल्ली

(A company Limited by Shares not for Profit)

Under Section 25 of the Companies Act, 1956)

## **ARTICLES OF ASSOCIATION OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**

### **I. INTERPRETATIONS**

1. In the interpretation of these Articles, the following words and expressions shall have the following meanings, unless repugnant to the subject or context:

"The Company" means **National Backward Classes Finance and Development Corporation.**

"The Act" or "the said Act" means the Companies Act 1956 (1 of 1956) as may be in force from time to time and include all rules made thereunder.

"The Office" means the Registered Office of the Company.

"The Government" means the Government of India.

"President" means the President of India.

"Backward Class" means those castes/communities that are notified as socially and educationally backward classes by the State Governments or those that may be notified as such by the Central Government from time to time.

"The Director" means the Directors for the time being of the Company.

"Executor" or "Administrator" means persons who has obtained Probate or Letters of Administration, as the case may be, from some Competent Court.

"Capital" means the capital of the time being raised or authorised to be raised for the purpose of Company.

"Shares" means the shares or stock into which the capital is divided and the interest corresponding with such shares or stocks.

"Board" means a meeting of the Directors duly called and constituted or, as the case may be, the Directors assembled at a Board.

"The Register" means the register of members to be kept pursuant to the Act.

"Seal" means the Common seal for the time being of the Company.

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत  
शेयरों द्वारा परिसीमित, बिना लाभ की कंपनी)

## नैशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संगम अनुच्छेद

### I. याख्याएं

- इन अनुच्छेदों की व्याख्या में निम्नलिखित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का निम्नलिखित अर्थ लगाया जाएगा, जब तक कि विषय या संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो

"कंपनी" से तात्पर्य है - नैशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)।

"अधिनियम" या "उक्त अधिनियम" से तात्पर्य है- यथासमय लागू कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) तथा इसमें उसके तहत निर्मित सभी नियम शामिल हैं।

"कार्यालय" से तात्पर्य कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है।

"सरकार" से तात्पर्य भारत सरकार है।

"राष्ट्रपति" से तात्पर्य है – भारत के राष्ट्रपति।

"पिछड़ा वर्ग" से तात्पर्य वे जातियां/समुदाय हैं जो राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्ग अधिसूचित किए गए हैं तथा वे जो उसी रूप में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जा सकते हैं।

"निदेशक" से तात्पर्य है कंपनी के तात्कालिक तौर पर निदेशक।

"निष्पादक" या "प्रशासक" से तात्पर्य वह व्यक्ति हैं जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रशासन के सम्प्रमाण या प्रपत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर लिया है।

"पूँजी" से तात्पर्य वह पूँजी है जो तात्कालिक तौर पर एकत्र की गई हो या कंपनी के प्रयोजन के लिए एकत्र करने हेतु अधिकृत की गई हो।

"शेयरों" से तात्पर्य वे शेयर या स्टॉक हैं जिनमें पूँजी विभाजित है और शेयरों या स्टॉकों से जुड़ा ब्याज।

"बोर्ड" से तात्पर्य है निदेशकों की विधिवत बुलाई गई व गठित बैठक या जैसा भी मामला हो, बोर्ड में एकत्र हुए निदेशकगण।

"पंजिका" से तात्पर्य है - अधिनियम के अनुसार रखे जाने वाली सदस्यों की पंजिका।

"मोहर" से तात्पर्य है – तत्कालिक तौर पर कंपनी की सामान्य मोहर।

"Financial Year" means the period in respect of which any income and expenditure account of the Company laid before it in Annual General Meeting is made up whether that period is a year or not.

Words importing the singular number include the plural number and vice –versa.

Words importing the masculine gender also include the feminine gender.

EXPRESSIONS IN THE  
ACT TO BEAR THE  
SAME MEANING IN  
ARTICLES

COMPANY TO BE A  
GOVERNMENT  
COMPANY

Subject as aforesaid, any words or expressions defined in the Act shall, except where the subject or context forbids, bear the same meaning in these Articles.

TABLE 'A' TO APPLY  
EXCEPT OTHERWISE  
PROVIDED

2. The Company will be a Government Company within the definition of Section 617 of the Companies Act, 1956.
3. The regulations contained in Table 'A' in the First Schedule to the Act shall apply except in so far as they have been specifically excluded by/or under these Articles.
4. The Company will be Private Company, and accordingly:
  - (a) The number of members of the Company for time being (exclusive of persons who are in the employment of the Company, persons who having been formerly in the employment of the company, were its members while in such employment, and have continued and after such employment ceased to be members of the Company) is not to exceed fifty but when two or more persons hold one or more shares in the Company jointly, they shall for the purpose of this paragraph be treated as a single member.
  - (b) Any invitation to the public to subscribe for any shares in or debentures of the Company is hereby prohibited.
  - (c) The right to transfer of shares shall be restricted as hereinafter provided.

COMPANY TO BE  
GOVERNED BY THESE  
ARTICLES

The Management of the Company will be as per these articles.

"वित्तीय वर्ष" से तात्पर्य वह अवधि है जिसके संदर्भ में कम्पनी का आय एवं व्यय लेखा वार्षिक सामान्य बैठक में इसके समक्ष रखा जाता है, चाहे वह अवधि एक वर्ष है या नहीं।

एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन एवं बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन भी शामिल है।

पुलिंग द्योतक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रीलिंग भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद से अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होना जो अधिनियम में है

उपर्युक्त के अधीन, अधिनियम में परिभाषित किन्हीं शब्दों या अभिव्यक्तियों का, सिवाय जब विषय या संदर्भ इसे मना करें, इन अनुच्छेदों में वही अर्थ होगा।

कम्पनी का एक सरकारी कम्पनी होना 2.

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 की परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी एक सरकारी कम्पनी होगी।

जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, टेबुल "ए" का लागू होना 3.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टेबुल "ए" में विहित विनियम लागू होंगे, सिवाय जब जहाँ तक वे विशेष रूप से इन अनुच्छेदों द्वारा/या उनमें से न निकाल दिए गए हों।

4. कम्पनी एक निजी कम्पनी होगी, तथा तदनुसार:

(क) तात्कालिक तौर पर कम्पनी के सदस्यों की संख्या (उन व्यक्तियों को छोड़कर जो कम्पनी में सेवारत हैं, ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी में पूर्व में सेवारत रहे हैं, ऐसे सेवारत रहते हुए इसके सदस्य थे, तथा जारी रहे तथा सेवायोजन के पश्चात् कम्पनी के सदस्य नहीं रहे) पचास से अधिक नहीं होगी लेकिन जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कम्पनी में एक या अधिक शेयर रखते हों, वे इस प्रस्तर के प्रयोजन के लिए एक एकल सदस्य की तरह माने जाएंगे।

(ख) कम्पनी के किन्हीं शेयरों या डिबेन्चरों में अंशदान करने के लिए जनता की कोई भी आमंत्रण एतद् द्वारा निषिद्ध है।

(ग) शेयरों के अन्तरण का अधिकार इसके आगे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित होगा।

कम्पनी का इस अनुच्छेदों द्वारा शासित होना 5.

कम्पनी का प्रबन्ध इन अनुच्छेदों के अनुसार होगा।

## II. SHARE CAPITAL

CAPITAL	6. The Authorised share capital of the Company is Rs.15,00,00,00,000/- (Rupees Fifteen Hundred Crores only) divide into 1,50,00,000 (One Hundred Fifty Lacs) equity shares of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand) each with a power to increase or reduce the Share Capital.
COMPANY'S SHARE NOT TO BE PURCHASED	7. No part of the funds of the Company shall be employed in the purchase of or in giving loans upon the security of the Company's shares. No. share shall be transferred by any holder without prior consent of the Government but this restriction shall not apply to transfers in favour of nominees of the Government.
ALLOTMENT OF SHARES	8. Subject to provisions of the Act and these Articles and to the directions of the President, the Shares shall be under the control of the Board of Directors who may allot or otherwise dispose of the same to such persons on such terms and conditions as it may think fit. The Board shall have full discretion to fix the amount of each sum called in respect of a share and to determine the interval between two calls.
SHARE CERTIFICATES	9. (a) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within three months after allotment or within two months of the application for registration or transfer (or within such other periods as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares without payment. Several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of one rupees for every certificate after the first.  (b) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon.
ISSUE OF NEW SHARE CERTIFICATES	10. If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed or a duplicate of a certificate may be issued on payment of such fee, if any, and on such terms, if any, as to evidence and indemnity as the Directors think fit.
TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES	11. The right of members to transfer their shares shall be restricted as follows:  (a) A share can be transferred only to a person approved by the President;

## II अंश पूंजी

### पूंजी

6. कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रु. 15,00,00,00,000/- (केवल रूपया प्रद्रह सौ करोड़) है जो अंश पूंजी बढ़ाने या घटाने की शक्ति के साथ रु. 1,000/- (रूपया एक हजार मात्र) प्रत्येक के 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख) समान अंशों में विभाजित है।

### कम्पनी के अंश खरीदे नहीं जाएंगे

7. कम्पनी की धनराशियों का कोई भी लाभ कम्पनी के अंशों की जमानत या खरीद पर ऋण देने में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। कोई भी अंश किसी भी धारक द्वारा सरकार की पूर्व सहमति के बिना अन्तरित नहीं किया जाएगा परन्तु यह प्रतिबंध सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरणों के लिए लागू नहीं होगा।

### अंशों का आबंटन

8. अधिनियम के प्रावधानों और इन अनुच्छेदों व राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन, अंश निदेशक मंडल के नियंत्रण में रहेंगे जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों को ऐसे नियम एवं शर्तों पर जैसा यह ठीक समझे, आबंटित कर सकता है अथवा बेच सकता है। इस निदेशक मण्डल को एक अंश के संबंध में याचित प्रत्येक राशि को निर्धारित करने तथा दो भागों के बीच अन्तराल तय करने का पूरा अधिकार होगा।

### अंश प्रमाणपत्र

9. (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्य के रूप में सदस्यों की पंजिका में दर्ज हुआ है, बिना किसी भुगतान के, अपने सभी अंशों का एक प्रमाण पत्र आबंटन के तीन माह के भीतर (या ऐसी अन्य अवधियों के भीतर जैसी कि निर्गम की शर्तें व्यवस्था करेंगी) प्राप्त करने का हकदार होगा। अनेक प्रमाणपत्रों की स्थिति में इसके अंशों के प्रत्येक के एक या अधिक हर प्रमाणपत्र, पहले के बाद, एक रूपए प्रति के हिसाब से भुगतान पर दिया जाएगा।
- (ख) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मोहर लगी होगी तथा उस पर यह उल्लेख होगा कि वह कितने अंशों के लिए है तथा इसके लिए कितनी राशि प्रदत्त की गई है।

### नए अंश प्रमाण पत्र जारी होना

10. यदि कोई अंश प्रमाणपत्र विकृत हो जाता है, खो जाता है, या नष्ट हो जाता है तो ऐसे शुल्क के भुगतान पर, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों पर जैसी कि साक्ष्य एवं हरजाने के लिए निदेशकगण उचित समझें, उसे नवीनीकृत किया जा सकता है या प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सकती है।

### शेयरों का अन्तरण एवं संचरण

11. सदस्यों द्वारा अपने अंशों को अंतरित (हस्तांतरित) करने का अधिकार इस प्रकार प्रतिबंधित होगा :
- (क) अंश केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को ही अंतरित किया जा सकता है;



- (b) No fee need be charged for transfer, this being restricted to Government nominees; and
- (c) A notification would be issued by the Company Secretary or other authorized representative of the Company whenever the share transfer takes place on the basis of above.

### III. ALTERATION OF CAPITAL

#### POWER TO INCREASE CAPITAL

- 12. Subject to the approval of the Central Government, Board may, with the sanction of the Company in a general meeting, increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount , as the resolutions shall prescribe.

#### ON WHAT CONDITIONS NEW SHARES MAY BE ISSUED

- 13. Subject to such directions as may be issued by the President in this behalf, new shares shall be issued upon such terms and conditions and with such rights and privileges annexed thereto as the general meeting resolving upon the creation thereof shall direct, and it no direction be given, as the Board shall determine.

#### HOW FAR NEW SHARES TO RANK WITH SHARES IN ORIGINAL CAPITAL

- 14. Except so far as otherwise provided by the conditions of issue, or by these articles, any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to the payment of calls and instalments, transfer and transmission, lien, voting surrender and otherwise.

#### REDUCTION OF CAPITAL ETC.

- 15. Subject to the provisions of Sections 100 to 104 of the Act, and to such directions as may be issued by the President in this behalf, the company may, from time to time, by special resolution, reduce its capital by paying off capital or cancelling capital, which has been lost or is unrepresented by available assets, or is superfluous, or by reducing the liability on the shares or otherwise as may seem expedient and capital may be paid off upon the footing that it may be called up again or otherwise, and the Board may, subject to the provisions of the Act, accept surrender to shares.

#### SUB-DIVISION AND CONSOLIDATIONS OF SHARES

- 16. Subject to the approval of the President, the Company in general meeting may, from time to time, sub-divide or consolidate its shares or any of them and exercise any of the other powers conferred by the Section 94 of the Act and shall file with the Registrar such notice of exercise of such power as may be required by the Act.

- (ख) अंतरण के लिए कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी, द्वारा नामित प्रतिनिधियों तक प्रतिबंधित होगा; तथा
- (ग) उपर्युक्त के आधार पर अंश के अन्तरण की स्थिति में, कम्पनी सचिव या कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

#### IV. पूँजी परिवर्तन

##### पूँजी को बढ़ाने की शक्ति

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन निदेशक मंडल सामान्य बैठक में कम्पनी की स्वीकृति से अंश पूँजी उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जितनी कि संकल्पों द्वारा निर्धारित की जाए, ऐसी रकम शेयरों में विभाजित होगी।

##### किन दशाओं में नए, अंश जारी किए जा सकते हैं

13. राष्ट्रपति द्वारा जारी यथा निर्देशों के अधीन नए अंश ऐसे नियमों एवं शर्तों तथा ऐसे अधिकारों एवं विशेषाधिकारों जैसे उनके सृजन के लिए सामान्य बैठक में प्रस्ताव पारित करके स्वीकार किए जाएं, यदि कोई निर्देश नहीं दिया गया है तो जैसा निदेशक मंडल तय करे के अनुसार जारी किए जाएंगे।

##### नए अंशों की मूल पूँजी के अंशों के साथ श्रेणी क्या होगी

14. निर्गम की शर्तों या उन अनुच्छेदों में अन्यथा दी गई व्यवस्थाओं के अलावा, नए शेयरों के सृजन द्वारा एकत्र की गई कोई भी पूँजी मूल पूँजी का भाग समझी जाएगी तथा मांगों के भुगतान एवं किश्तों और संचरण, ग्रहणाधिकार, मतदान, समर्पण तथा अन्य दूसरी बातों के संदर्भ में यहाँ समाहित प्रावधानों के अधीन होगी।

##### पूँजी आदि का कम किया जाना

15. अधिनियम की धारा 100 से 104 तक के प्रावधानों तथा ऐसे निर्देशों जैसा राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में जारी किए जाएं, के अधीन कम्पनी समय-समय पर विशेष प्रस्ताव पारित करने अपनी पूँजी इस प्रकार से कम कर सकती है-पूँजी को चुका कर अथवा जो खो गई है अथवा उपलब्ध सम्पत्तियों द्वारा अनिरूपित है या फालतू है, उस पूँजी का विलोपन करने या अंशों से संबंधित देनदारी को कम करके या ऐसे अन्य प्रकारों से जैसा उचित प्रतीत हो तथा पूँजी इस तरह भुगतान भी की जा सकती है जैसे कि उसे पुनः वापस मांगी जा सके या अन्य प्रकार से, तथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अंशों का समर्पण भी निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है।

##### अंशों का प्रविभाजन एवं समेकन

16. राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, कम्पनी सामान्य बैठक में, समय-समय पर अपने अंशों या उनमें से किसी को प्रविभाजित या समेकित कर सकती है तथा अधिनियम की धारा 94 द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकती है तथा ऐसी शक्ति के प्रयोग की सूचना, जैसी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

POWER TO BORROW	<b>V. POWER TO RAISE FUNDS</b> 17. Subject to the Provisions of Section 58A and 292 of the Act and subject to the maximum limits as may be imposed by the Board, from time to time, the Company may receive grants, borrow or secure moneys on such terms and conditions and from such sources as determined by the Board, for advancing the objectives of the Company.
SECURITIES MAY BE ASSIGNABLE FREE FROM EQUITIES	18. Debentures, debentures stock, bonds or other securities may be made assignable free from any equities between the Company and the person to whom the same may be issued.
ISSUE AT DISCOUNT OR WITH SPECIAL PRIVILEGES	19. Subject to such directions as may be issued by President in this behalf and subject to Section 76 of the Act, any debentures, debentures stock, bonds or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with any special privileges as to redemption, surrender, drawings, allotment of share, appointment of Directors and otherwise.
PERSONS NOT TO HAVE PRIORITY OVER ANY PRIOR CHARGE	20. Whenever any uncalled capital of the Company is charged, all persons taking any subsequent charges thereon shall take the same subject to such prior charge and shall not be entitled, by notice to the share holders or otherwise also obtain over such prior charge.
GENERAL MEETING	<b>V. GENERAL MEETING</b> 21. The Company shall, in each year, hold, in addition to any other meeting, a General Meeting as its Annual General Meeting.
	<p>Not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting of the Company and that of the next.</p>
EXTRA-ORDINARY MEETING	<p>The first Annual General Meeting of the company shall be held within eighteen months from the date of its incorporation and, thereafter, subject to the provisions of Section 166 read with Section 210 of the Act, the Annual General Meeting of the Company shall be held within 6 months after the expiry of each financial year.</p> 22. All General Meetings other than Annual General Meetings shall be called "Extra-ordinary General Meetings".
BOARD TO CALL EXTRA-ORDINARY MEETING	23. The Board may call an Extra-ordinary General Meeting whenever it thinks fit.
EXTRAORDINARY MEETING ON REQUISITION	24. The Board shall call an Extra-ordinary General Meeting whenever a requisition in writing is received in accordance with Section 169 of the Act.

## VI. निधियों को बढ़ाने की शक्ति

### उधार लेने की शक्ति

17. अधिनियम की धारा 58 ए एवं 292 के प्रावधानों के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अधीन कम्पनी अपने उद्देश्यों की उन्नति के लिए ऐसे नियम व शर्तों पर तथा ऐसे स्रोतों से जैसा निदेशक मंडल तय करें, अनुदान, ऋण या धनराशियां प्राप्त कर सकती है।

### जमानत राशियां, साम्यों से मुक्त निर्धारित की जा सकती है।

18. डिबेन्चर्स, डिबेन्चर स्टॉक, बंधपत्र या अन्य जमानत राशियां कम्पनी तथा उस व्यक्ति जिसे ये जारी की जाए, के बीच साम्यों से मुक्त निर्धारित की जा सकेगी।

### छूट या विशिष्ट विशेषाधिकारी के साथ निर्गम

19. राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में जारी किए जाने वाले निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 76 के अधीन कोई डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टॉक, बंधपत्र या अन्य जमानत राशियां, छूट या प्रीमियम पर या अन्य प्रकार से तथा अंश के परिशोधन, समर्पण, आहरण, आवंटन, निदेशकों की नियुक्ति तथा अन्य प्रकार से किसी विशिष्ट विशेषाधिकारों के तहत जारी किए जा सकते हैं।

### व्यक्ति किसी पूर्व प्रभार पर प्राथमिकता प्राप्त नहीं करेंगे।

20. जब कभी कम्पनी की कोई अनाहूत पूंजी प्रभारित की जाती है तो उस पर किन्हीं उत्तरवर्ती प्रभारों को लेने वाले सभी व्यक्ति उसे ऐसे पूर्ववर्ती प्रभार पर प्राप्त करेंगे तथा अंश धारकों को सूचना द्वारा या अन्य प्रकार से ऐसे पूर्ववर्ती प्रभार से ज्यादा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

## V. सामान्य बैठक

### सामान्य बैठक

21. कम्पनी प्रत्येक वर्ष किसी अन्य बैठक के अतिरिक्त, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक के रूप में एक सामान्य बैठक आयोजित करेगी। कम्पनी की एक वार्षिक सामान्य बैठक तथा अगली बैठक की तिथि के बीच 15 माह से अधिक समय का अन्तर नहीं होगा। कम्पनी की प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक इसके निगमन की तिथि से 18 माह के भीतर आयोजित की जाएगी तथा उसे बाद, अधिनियम की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के प्रावधानों के अधीन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर आयोजित की जाएगी।

### असाधारण बैठक

22. वार्षिक सामान्य बैठकों के अलावा अन्य सभी सामान्य बैठकें असाधारण सामान्य बैठकें कहलाएंगी।

### मंडल द्वारा आहूत असाधारण बैठक

23. निदेशक मंडल जब भी ठीक समझे, एक असाधारण सामान्य बैठक आहूत कर सकते हैं।

### अनुरोध पर आहूत असाधारण बैठक

24. अधिनियम की धारा 169 के अनुसार, लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर मंडल एक असाधारण सामान्य बैठक बुलाएगा।

WHEN  
REQUISITIONISTS CAN  
HOLD  
EXTRAORDINARY  
MEETINGS

25. If the Board does not proceed to call a meeting within 21 days from the date of requisition being so deposited to be held not later than 45 days from the date of such deposit, then the requisitionists or the majority of them in value or as permitted by Sub-clause (b) of sub-Section (6) of Section 169 of the Act may themselves call the meeting, but any meetings so called shall not be held after 3 months from the date of such requisition. Any meeting convened under this Article by the requisitionists shall be convened in the same manner as far as possible as that in which meetings are to be convened by the Board.

NOTICE OF MEETING

26. At least seven days notice specifying the place, the day and the hour of meeting and in the case of special business, the general nature of such business accompanied by a explanatory statement under Section 173 of the Act, shall be given in the manner hereinafter mentioned and as required by Section 172 of the Act to such members as are entitled in law to receive notice from the Company.

Provided that the accidental omission to give such notice to, or the non-receipt of such notice by any member shall not invalidate any resolution passed or proceedings held at any such meeting.

**VI. PROCEEDING OF GENERAL MEETINGS**

BUSINESS OF GENERAL  
MEETINGS

27. The business of a Annual General Meeting shall be to receive and consider the income and expenditure account, the balance sheet and the report of the Board and of the auditor, and to transact any other business which under these Articles ought to be transacted at Annual General Meeting. All other business transacted at such meetings and all business transacted at an Extraordinary General Meeting shall be deemed special.

QUORUM

28. Two members present in person of whom one shall be a representative of the President shall be a quorum for a general meeting.

RIGHT OF PRESIDENT  
TO APPOINT ANY  
PERSON AS HIS  
REPRESENTATIVE

29 (1) The President, so long as he is a share-holder of the Company may, from time to time, appoint one or more persons (who need not be a member or members of the Company) to represent him at all or any meetings of the Company.  
(2) Only one of the persons appointed under Sub-clause (1) of this Article who is personally present at the meeting shall be deemed to be a member entitled to vote and be present in person and exercise the same right and powers (including the right to vote proxy) as he could exercise as a member of the Company.

**अनुरोधकर्ता कब असाधारण बैठकें आयोजित कर सकते हैं**

25. यदि निदेशक मंडल अनुरोध-पत्र के जमा करने की तिथि से 21 दिन के भीतर बैठक बुलाने को उद्यत नहीं होता है तो, बैठक जो अनुरोध-पत्र के जमा करने की तारीख से 45 दिन के अन्दर की जानी होती है, अनुरोधकर्ता या अधिकांश आवेदक महत्व की दृष्टि से या अधिनियम की धारा 169 की उपधारा (6) के उपखण्ड (ख) में दी गई अनुमति के अनुसार स्वयं आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बुलाई गई कोई भी बैठक ऐसे अनुरोध की तिथि के 3 माह बाद आयोजित नहीं की जाएगी। अनुरोधकर्ताओं द्वारा इस अनुच्छेद के तहत आयोजित की गई ऐसी बैठक यथासंभव उसी तरह आयोजित की जाएगी जैसे की मंडल द्वारा अन्य बैठकें आयोजित की जानी होती है।

**बैठक की सूचना**

26. कम से कम 7 दिन पहले सूचना, बैठक के स्थान, दिन तथा समय का उल्लेख करते हुए तथा विशेष कार्य के मामले में ऐसे कार्य की सामान्य प्रकृति तथा उसके साथ अधिनियम की धारा 173 के अन्तर्गत एक व्याख्यात्मक विवरण देते हुए वर्णित रीति से एवं अधिनियम की धारा 172 में अपेक्षानुसार उन सदस्यों को दी जाएगी जो कानूनन कम्पनी से सूचना पाने के हकदार हैं,

परन्तु ऐसी सूचना को देने में संयोगवश हुई चूक या किसी सदस्य द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति न होना ऐसी किसी आयोजित बैठक में पारित किसी प्रस्ताव या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी।

#### **VI. सामान्य बैठकों की कार्यवाही**

**सामान्य बैठकों के कार्य**

27. एक वार्षिक सामान्य बैठक के कार्य होंगे - आय एवं व्यय लेखा/तुलन-पत्र तथा निदेशक मंडल व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना और उस पर विचार करना तथा ऐसे किसी अन्य कार्य को निष्पादित करना जो इन अनुच्छेदों के तहत वार्षिक सामान्य बैठक में निष्पादित किया जाना चाहिए। ऐसी बैठकों में निष्पादित सभी अन्य कार्य तथा एक असाधारण सामान्य बैठक में निष्पादित सभी कार्य विशेष समझे जाएंगे।

**गणपूर्ति**

28. स्वयं उपस्थित दो सदस्य, जिनमें से एक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा, एक सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) होंगे।

**किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार**

29. (1) राष्ट्रपति, जब तक कम्पनी के एक अंशधारक हैं, कम्पनी के सभी या किसी बैठक में अपने प्रतिनिधित्व के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों (जिनका कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है) को नियुक्त कर सकते हैं।  
(2) इस अनुच्छेद के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को, जो बैठक में स्वयं उपस्थित है, वोट देने, स्वयं उपस्थित होने तथा उन अधिकारों व शक्तियों (प्रोक्सी द्वारा वोट देने के अधिकार सहित), जो वह कम्पनी के एक सदस्य के रूप में प्रयोग कर सकता है, का प्रयोग करने के लिए हकदार सदस्य की तरह समझा जाएगा।

- (3) The President may, from time to time, cancel any appointment made under Sub-clause (1) of the Article and make fresh appointments.

CHAIRMAN OF  
GENERAL MEETING

30. The Chairman of the Board or, in his absence, a Director on the Board shall be entitled to take the Chair at every general meeting.

WHEN IF QUORUM  
NOT PRESENT,  
MEETING TO BE  
DISSOLVED AND  
WHEN TO BE  
ADJOURNED

31. If within half an hour from the time appointed for the meeting quorum is not present, the meeting if convened upon such requisition as aforesaid, shall be dissolved, but in any other case it shall adjourn to the same day in the next week at the same time and place and, if at such adjourned meeting, quorum is not present, the members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called.

HOW QUESTIONS TO  
BE DECIDED AT  
MEETING

32. Every question submitted to a meeting shall be decided in the first instance by a show of hands, and in the case of an equality of votes, the Chairman shall, both on a show of hands and at a poll (if any), have casting vote in addition to the vote or votes to which he may be entitled as a member.

WHAT IS TO BE DONE  
IN EVIDENCE OF THE  
PASSING OF  
RESOLUTION WHERE  
POLL NOT DEMANDED

33. At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands, unless a poll is, before or on the declaration of the result of the show of hands, demanded by a member present in person or proxy or by duly authorised representative, and, unless a poll is so demanded a declaration by the Chairman that resolution has, on a show of hands, been carried unanimously or by a particular majority or lost. An entry to that effect in the book of proceedings of the company, shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against that resolution.

POLL

34. If a poll is duly demanded, it shall be taken in such manner and at such time and place as the Chairman of the meeting directs, either at once or after an interval or adjournment or otherwise and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded. The demand of a poll may be withdrawn.

- (3) राष्ट्रपति, समय-समय पर इस अनुच्छेद के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत की गई किसी भी नियुक्ति को रद्द कर सकते हैं तथा नई नियुक्त कर सकते हैं।

सामान्य बैठक का अध्यक्ष	30.	मंडल का अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में मंडल का एक निदेशक सामान्य बैठक में अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।
गणपूर्ति की अनुपस्थिति में बैठक रद्द तथा स्थगति की जाएगी	31.	यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कौरम पूरा नहीं है तो बैठक, यदि वह ऐसे अनुरोध पर आयोजित की गई है जैसा ऊपर कहा गया है, रद्द कर दी जाएगी लेकिन कसी अन्य मामले में यह अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय तथा उसी सान के लिए स्थगित की जाएगी तथा, यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी कौरम पूरा नहीं है तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति होंगे और वे उस कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं जिसके लिए बैठक आहूत की गई थी।
बैठक के मामलों का निर्णय कैसे किया जाएगा	32.	बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्णय सर्वप्रथम हाथ दिखा करके किया जाएगा, तथा दोनों और वोटों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष, हाथ दिखा करके या मतदान (यदि कोई हो) दोनों स्थितियों में उस वोट या उन वोटों को देने के अतिरिक्त, जो वह सदस्य के रूप में देने के लिए हकदार है, निर्णायक मत देगा।
जब मतदान की मांग नहीं की जाती, तब प्रस्ताव पारित होने के साक्ष्य के रूप में क्या किया जाएगा	33.	किसी सामान्य बैठक में सदन की राय जानने के लिए रखे गए, प्रस्ताव का निर्णय हाथ खड़ा करके किया जाएगा, जब तक कि, हाथ दिखने की प्रक्रिया का परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले, किसी स्वयं उपस्थित सदस्य या प्रोक्सी या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती है, और, जब तक इस तरह के किसी मतदान की मांग नहीं की जाती है, अध्यक्ष की एक घोषणा का प्रस्ताव, हाथ दिखा करके, सर्वसम्मति से या एक खास बहुमत से पारित हो गया या गिर गया है, कम्पनी की कार्यवाही पुस्तिका में तत्प्रभाव की एक प्रविष्टि, बिना प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के, इस तथ्य की निश्चित साक्ष्य होगी।
मतदान	34.	यदि किसी मतदान की विधिवत् मांग की जाती है, तो इसका आयोजन तुरन्त या एक अन्तराल के बाद या स्थगन के बाद या अन्य किसी ऐसी रीति से एवं ऐसे समय व स्थान पर जैसा बैठक का अध्यक्ष निर्देश करे, कराया जाएगा तथा मतदान का परिणाम उस बैठक का संकल्प माना जाएगा जिसमें मतदान की मांग की गई थी। मतदान की मांग वापस भी ली जा सकती है।



**POWER TO ADJOURN  
GENERAL MEETING**

35. The Chairman of a general meeting may, with the consent of the meeting, adjourn the same from time to time and from place to place but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which adjournment took place.

**IN WHAT CASES POLL  
TAKEN WITHOUT  
ADJOURNMENT**

36. Any poll duly demanded on the election of a Chairman of the meeting or on any question of adjournment shall be taken at the meeting and without adjournment.

**BUSINESS MAY  
PROCEED  
NOTWITHSTANDING  
DEMAND OF POLL**

37. The demand of a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which poll has been demanded.

**CHAIRMAN'S DECISION  
CONCLUSIVE**

38. The Chairman of any meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting. The Chairman present at the taking of a poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

**VII. VOTES OF MEMBERS**

**VOTE OF MEMBER**

39. Upon the show of hands every member present in person shall have one vote and upon a poll every member present in person or by proxy or by duly authorized representative shall have one vote for every share held by him.

**NO VOTING BY  
PROXY ON SHOW OF  
HANDS**

40. No member who is not personally present shall be entitled to vote on a show of hands.

**VOTE IN RESPECT OF  
SHARES OF  
DECEASED,  
BANKRUPT MEMBERS**

41. Any person entitled under the transmission clause to any share may vote at any general meeting in respect thereof in the same manner as if he were the registered holder of such shares, provided that seventy two hours at least before the time of holding the meeting or adjourned meeting, as the case may be, at which he proposes to vote, he shall satisfy the Board of his right to such shares.

**JOINT HOLDERS**

42. Where there are joint registered holders of any share, any one of them may vote at any meeting, either personally or by proxy, in respect of such share as if he were solely entitled thereto, and if more than one such joint holders be present at any meeting personally or by proxy, then one of the said persons present, whose name stands first on the register in respect of such share, shall alone be entitled to vote in respect thereof. Several executors or Administrators of a deceased member in whose name any share stands, shall, for the purpose of this clause, be deemed to be joint holders thereof.

- सामान्य बैठकों को स्थगित करने की शक्ति 35. सामान्य बैठकों का अध्यक्ष, बैठक में सदस्यों की सहमति से बैठक को समय-समय पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थगित कर सकता है लेकिन किसी स्थगित बैठक में उस बैठक के, जिसमें स्थगन हुआ था के अधूरे छूट गए कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं होगा।
- किन मामलों में बिना स्थगन के मतदान कराया जाएगा 36. बैठक के अध्यक्ष के चुनाव या स्थगन के किसी मामले में बारे में मतदान के लिए विधिवत की गई किसी मांग पर बैठक में ही विचार किया जाएगा तथा वह बिना स्थगन के होगा।
- मतदान की मांग के बावजूद भी कार्य जारी रह सकते हैं 37. मतदान की मांग, उस प्रश्न जिस पर मतदान की मांग की गई है, के अलावा किसी कार्य के निष्पादन के लिए बैठक के जारी रहने को नहीं रोकेगी।
- अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा 38. किसी बैठक का अध्यक्ष ऐसी बैठक में दिए गए प्रत्येक वोट की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा। मतदान किए जाने के समय उपस्थित अध्यक्ष ऐसे मतदान में दिए गए प्रत्येक वोट की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा।

#### VII. सदस्यों का मत

- सदस्य का मत 39. हाथ खड़ा करने की प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा तथा मतदान होने पर स्वयं उपस्थित या प्रोक्सी द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित प्रत्येक सदस्य, उसके द्वारा धारित प्रत्येक अंश के लिए एक वोट दे सकेगा।
- हाथ खड़ा करने की प्रक्रिया में प्रोक्सी द्वारा कोई वोट नहीं दिया जाएगा 40. कोई भी सदस्य जो स्वयं उपस्थित नहीं है, हाथ खड़ा करने की प्रक्रिया में वोट देने का हकदार नहीं होगा।
- मृत, दिवालिया सदस्यों के शेयरों के संबंध में वोट 41. किसी शेयर के संचरण खण्ड के अन्तर्गत हकदार कोई व्यक्ति उसके संबंध में किसी आम बैठक में उसी रीति से वोट दे सकता है, मानो वह ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक हो, बशर्ते उसके द्वारा उस बैठक या स्थगित बैठक, जैसा भी मामला हो, जिसमें वह वोट देने का इरादा रखता है, के आयोजन के समय से कम से कम 72 घंटे पहले ऐसे शेयरों के लिए अपने अधिकार के बारे में मंडल को संतुष्ट करना होगा।
- संयुक्त धारक 42. जहां किसी शेयर के संयुक्त पंजीकृत धारक हैं, वहां उनमें से कोई एक धारक या तो स्वयं या प्रोक्सी द्वारा ऐसे शेयर के संबंध में किसी आम बैठक में उसी तरह वोट दे सकता है, मानो कि वह उसका एक मात्र हकदार हो तथा यदि किसी बैठक में स्वयं या प्रोक्सी द्वारा ऐसे एक से अधिक संयुक्त धारक उपस्थित हैं, तो उक्त उपस्थित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका नाम ऐसे शेयर के संबंध में पंजिका में पहले आता है, उसके सम्बंध में अकेला वोट देने का हकदार होगा। एक मृत सदस्य जिसके नाम शेयर हैं, के अनेक निष्पादक या प्रशासनक इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, उनके संयुक्त धारक माने जाएंगे।

VOTE IN RESPECT OF SHARE OF MEMBERS OF UNSOUND MIND	43.	A member of unsound mind or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on poll, by his legal guardian.
PROXIES PERMITTED	44.	On a poll, votes may be given either personally or by proxy or by duly authorized representative.
INSTRUMENT APPOINTING PROXY TO BE IN WRITING	45.	A member entitled to attend and vote a meeting may appoint another person (whether a Member or not) as his proxy to attend a meeting and vote on a poll. No member shall appoint more than one proxy to attend on the same occasion. A proxy shall not be entitled to speak at a meeting or to vote except on a poll. The instrument appointing a proxy shall be in writing and be signed by the appointer or his attorney duly authorized in writing or if the appointer is a body corporate, be under its seal or be signed by an officer or any attorney duly authorized by it.
INSTRUMENT APPOINTING PROXY TO BE DEPOSITED AT OFFICE	46.	The instrument appointment a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposed to vote, and in default, the instrument of proxy, shall not be treated as valid.
WHEN VOTE BY PROXY VALID	47.	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the
THOUGH AUTHORITY REVOKED		previous death of the principal, or revocation of the proxy provided no intimation in writing of the death or revocation shall have been received at the office of the Company before the meeting.

- विक्षिप्त सदस्यों के शेयर के संबंध में वोट 43. एक विक्षिप्त सदस्य या जिसके संबंध में किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा पागलपन का आदेश पारित किया गया, अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से वोट दे सकता है, चाहे वह हाथ खड़ा करने की प्रक्रिया हो या मतदान की।
- प्रोक्सियों को अनुमति 44. मतदान होने पर वोट या तो स्वयं या प्रोक्सी द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए जा सकते हैं।
- प्रोक्सी की नियुक्ति करने वाला दस्तावेज लिखित होगा 45. एक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का हकदार सदस्य, बैठक में भाग लेने तथा मतदान होने पर वोट देने के लिए अपने प्रोक्सी के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति (चाहे व सदस्य है या नहीं) को नियुक्त कर सकता है। एक ही अवसर पर उपस्थित होने के लिए कोई सदस्य एक से अधिक प्रोक्सी को नियुक्त नहीं करेगा। प्रोक्सी बैठक में बोलने या मतदान के सिवाय वोट देने का हकदार नहीं होगा। प्रोक्सी की नियुक्ति करने वाला दस्तावेज लिखित होगा तथा नियुक्तकर्ता या उसके लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा या यदि नियुक्तकर्ता एक निगमित निकाय है तो उस पर इसकी मोहर लगी होगी या वह एक अधिकारी या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
- प्रोक्सी की नियुक्ति करने वाला दस्तावेज कार्यालय में जमा किया जाएगा 46. एक प्रोक्सी की नियुक्ति करने वाला दस्तावेज तथा मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी दस्तावेज (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित है, या उस अधिकार पत्र की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति को उस बैठक, जिसमें दस्तावेज में नामजद व्यक्त वोट देने का इरादा रखता है, के आयोजन के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाएगा, तथा ऐसा करने में असफल रहने स्थिति में प्रोक्सी का दस्तावेज वैध नहीं माना जाएगा।
- कब अधिकार पत्र के रद्द होने के बावजूद प्रोक्सी द्वारा किया गया वोट वैध होगा 47. प्रोक्सी के दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप दिया गया कोई वोट, मूल अधिकारी की पूर्व मृत्यु या प्रोक्सी के प्रतिसंहरण के बावजूद वैध होगा, बशर्ते मृत्यु या प्रतिसंहरण की कोई लिखित सूचना बैठक से पहले कम्पनी के कार्यालय में प्राप्त नहीं कर दी गई है।

**FORM OF PROXY**

48. An instrument appointing a proxy may be in the following form, or in any other form which the Board shall approve:

**NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION.**

I.....  
of..... at  
.....being a member of the  
National Backward Classes Finance and Development  
Corporation hereby appoint.....as my proxy to  
vote for me and on my behalf at the (ordinary or  
extraordinary, as the case may be) general meeting of the  
company to be held on the day of..... and at  
any adjournment thereof.....signed  
this.....day of .....

**NO MEMBERS  
ENTITLED TO VOTE  
ETC. WHILE CALLS  
DUE TO COMPANY**

49. No member shall be entitled to be present, or to vote on any question either personally or by proxy, or as proxy for another member, at any general meeting or upon poll or in a quorum, whilst any call or other sum be due and payable to the company in respect of any of the shares of such to the company in respect of any of the shares of such member.

**TIME FOR OBJECTION  
TO VOTE**

50. No objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll, at which such vote shall be tendered, and every vote whether given personally or by proxy not disallowed at such meeting or poll shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever.

**RESOLUTION IN  
WRITING OF BOARD IN  
CERTAIN CASES TO BE  
EQUIVALENT TO  
RESOLUTION OF  
GENERAL MEETING**

51. Any resolution passed by the Board notice whereof shall be given to the members in the manner in which notices are hereinafter directed to be given and which shall within one month after it, shall have been so passed, be rectified and confirmed in writing by members entitled at a poll to three-fifths of the vote, shall be as valid, and effectual as a resolution of a general meeting. Gut this clause shall not apply to a resolution for winding up of the Company or to a resolution passed in respect of any matter which by the Act or by these Articles ought to be dealt with by a special resolution.

## प्रोक्सी का प्रपत्र

48. प्रोक्सी को नियुक्त करने वाला दस्तावेज निम्नलिखित प्रपत्र में या किसी अन्य प्रपत्र में जिसे मंडल अनुमोदित करेगा, हो सकता है:

नैशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
में.....पता.....स्थान..... नैशनल  
बैंकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सदस्य होने  
के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती..... को दिनांक  
..... को आयोजित की जाने वाली कम्पनी की (साधारण या  
असाधारण, जैसा भी मामला हो) आम बैठक में तथा किसी स्थगित  
बैठक में अपने लिए तथा अपनी ओर से वोट देने के लिए अपने  
प्रोक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ। अज दिनांक ..... को मेरे  
द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

कोई सदस्य, जब उस पर  
कम्पनी की कोई राशि बकाया  
हो तो वोट आदि देने का  
हकदार नहीं होगा

49. यदि किसी सदस्य के शेयरों के संबंध में कम्पनी को देय कोई मांग या अन्य राशि बकाया है, तो वह सदस्य किसी सामान्य बैठक या मतदान या गणपूर्ति की गिनती पूरी करने में स्वयं या प्रोक्सी द्वारा या किसी दूसरे सदस्य के प्रोक्सी के रूप में उपस्थित होने या किसी प्रश्न पर वोट देने का हकदार नहीं होगा।

वोट देने पर आपत्ति करने का  
समय

50. किसी वोट की वैधता के बारे में उस बैठक या मतदान के सिवाय जिसमें ऐसा वोट डाला जाएगा, कोई आपत्ति नहीं की जाएगी, तथा ऐसी बैठक या मतदान में अस्वीकार न किया गया प्रत्येक वोट, चाहे वह स्वयं दिया गया हो या प्रोक्सी द्वारा, ऐसी बैठक या मतदान के सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा।

विशेष मामलों में मंडल का  
लिखित प्रस्ताव आम बैठक के  
प्रस्ताव के बराबर होगा

51. मंडल द्वारा पारित कोई प्रस्ताव, जिसकी सूचना सदस्यों को इस रीति से दी जाएगी जिस रीति से एतदपश्चात् सूचनाएं देने के निर्देश दिए गए हैं तथा जो इसके पश्चात् जब-जब यह पारित कराया जाएगा, एक माह के भीतर इसके हकदार सदस्यों द्वारा मतदान में 3/5 के बहुमत से लिखित में परिशोधित व अनुमोदित किया जाएगा, इस तरह वैध व प्रभावोत्पादक होगा जैसे आम बैठक का प्रस्ताव। लेकिन यह खण्ड कम्पनी के परिसमापन के लिए किसी प्रस्ताव पर या किसी विषय के संबंध में पारित ऐसे प्रस्ताव पर जिसे अधिनियम या इन अनुच्छेदों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव माना जाए, लागू नहीं होगा।

## VIII. BOARD OF DIRECTORS

### NUMBER OF DIRECTORS

52. Subject to the provision of Section 252 of the Companies Act, 1956 and until otherwise determined by the Company in a General Meeting, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Directors are not required to hold any a qualification shares. The first Directors will be.

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Shri Mata Prasad, Additional Secretary<br>Ministry of Welfare, Government of India | 1 |
| 2. | Shri Biswa Ranjan Basu, CMD, NSFDC   | 1 |
| 3. | Dr. D.N. Prasad, MD, TRIFED  | 1 |
| 4. | Shri P. Kotaih, CMD, NABARD  | 1 |
| 5. | Shri R.S. Aggarwal, CMC, SIDBI   | 1 |
| 6. | Non-officials with recognized contribution<br>in field of Backward Classes         | 3 |
| 7. | MD of State Backward Classes Corporation<br>of State-level Corporations            | 3 |
| 8. | MD designate (Full Time)   | 1 |
| 9. | Director (Finance) (Full Time)   | 1 |

### APPOINTMENT OF DIRECTORS

53. (1) The Directors shall be appointed by the President.
- (2) The President shall appoint one of the non-official Directors of Act as a Chairman of the Board of Directors. Till Chairman is appointed by the President, the Board will appoint one of its Directors to Act as a Chairman.
- (3) The non-official Directors and other part-time Directors to be appointed by rotation out of the Managing Directors of State level Backward Classes Corporations or State level Corporations dealing with backward classes shall have tenure of three year. The functional Directors including the Managing Director shall be appointed for a period of five years. The earlier Directors including the Chairman shall be eligible for, reappointment. An official Director shall automatically retire on attaining the age of superannuation. The tenure of part time Government Director will be co-terminus with his/her tenure in the Ministry/Department.

## निदेशकों की संख्या

### VIII. निदेशक-मंडल

52. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 252 के प्रावधानों के अधीन तथा जब तक कम्पनी द्वारा आम बैठक में अन्य रीति से निर्धारित न किया जाए, निदेशकों की संख्या चार से कम तथा तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशकों को कोई योग्यता शेयर लेने जरूरी नहीं है।

प्रथम निदेशकगण निम्नलिखित होंगे:-

1. श्री माता प्रसाद, अपर सचिव कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 1
2. श्री विश्व रंजन बसु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. 1
3. डॉ. डी.एन. प्रसाद, प्रबंध निदेशक, ट्राईफेड 1
4. श्री पी. कोटियाह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नाबार्ड 1
5. श्री आर.एस.अग्गावाल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सिडवी 1
6. पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान वाले गैर 3  
अधिकारीगण
7. राज्य पिछड़ा वर्ग निगम या राज्य स्तरीय निगमों के 3  
प्रबन्ध निदेशक
8. प्रबन्ध निदेशक पदेन (पूर्णकालिक) 1
9. निदेशक (वित्त) (पूर्णकालिक) 1

## निदेशकों की नियुक्ति

53. (1) निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- (2) राष्ट्रपति गैर-सरकारी निदेशकों में से एक को निदेशक-मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, मंडल अपने निदेशकों में से एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।
- (3) पिछड़ी जातियों से जुड़े राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग निगमों या राज्य स्तरीय निगमों के प्रबन्ध निदेशकों में से चक्रानुक्रम में नियुक्त किए जाने वाले गैर-सरकारी निदेशकों व अन्य अंशकालिक निदेशकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। प्रबन्ध निदेशक सहित क्रियाशील निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष सहित पूर्व निदेशकगण पुनः नियुक्ति किए जाने के पात्र हो सकते हैं। एक सरकारी निदेशक सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर स्वतः सेवा-निवृत्त हो जाएगा। अंशकालिक राजकीय निदेशक का कार्यकाल मंत्रालय/विभाग में उसके कार्यकाल से सह-सीमाबद्ध होगा।



- (4) The President may appoint any one possessing requisite qualifications and experience of financial matters and procedures to be a full-time Director(Finance) for a period of five years on such remuneration and terms & conditions as he may think fit.
- (5) The President shall have the power to remove a Director including the Chairman at any time.
- (6) The President shall have the right to fill any vacancy in the office of a Director caused by retirement, removal, resignation, death or otherwise.

#### REMUNERATION OF DIRECTORS

- 54. (1) The remuneration of each Director shall be such fee for each meeting of the Board or of a Committee thereof attended by him as may be determined by the Board.
- (2) The Board may allow and pay to the Director who has to travel on Company's business or for the purpose of attending a meeting such sums as the Board may consider fair for traveling, boarding, lodging and other expenses in addition to his fee for attending such meeting as may be specified.

#### GENERAL POWERS OF THE COMPANY VESTED IN BOARD

- 55. (1) Subject to the provisions of the Act, the Board of Directors of the Company shall be entitled to exercise all such powers, and to do all such Acts and things as the Company is authorized to exercise and do.

Provided the Board shall not exercise any power or do any act or thing which is required, by the Act or by any other Act or by the Memorandum or Articles of Association of the Company or otherwise, to be exercised or done by the Company in General Meeting. Provided further that in exercising any such power or doing any such Act or thing, the Board shall be subject to the provisions contained in that behalf in the Act or any other Act. or in the Memorandum or Articles of the Company or in the regulations not inconsistent therewith and duly made there under including Regulations made by the Company in General Meeting.

- (4) राष्ट्रपति अपेक्षित योग्यताएं तथा वित्तीय मामलों व कार्यविधियों का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को, पांच वर्ष की अवधि के लिए, यथोचित पारिश्रमिक तथा शर्तों पर एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- (5) राष्ट्रपति को अध्यक्ष सहित किसी भी निदेशक को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (6) राष्ट्रपति को एक निदेशक के कार्यालय में सेवा निवृत्ति, निष्कासन, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए किसी पद को भरने का अधिकार होगा।
- निदेशकों का पारिश्रमिक** 54. (1) प्रत्येक निदेशक का पारिश्रमिक या उसके बदले समिति की प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें वह शामिल हुआ, ऐसा शुल्क होगा जैसा मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (2) मंडल उस निदेशक को जिसे कम्पनी के कार्य से या बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन से यात्रा करनी है, ऐसी राशि स्वीकृत व भुगतान कर सकता है, जिसे यात्रा, भोजन, आवास तथा अन्य खर्चों के लिए मंडल उचित समझे। यह राशि ऐसी बैठक, जिसका उल्लेख किया जा सकता है, में शामिल होने के लिए मिलने वाले उसके शुल्क के अतिरिक्त होगी।
- मंडल में निहित कम्पनी की सामान्य शक्तियां** 55. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कम्पनी का निदेशक-मंडल ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे सभी कार्यों व बातों को करने के लिए हकदार होगा जिनके प्रयोग करने और कार्य करने के लिए कम्पनी अधिकृत है।
- परन्तु मंडल किसी शक्ति का प्रयोग या कोई कार्य नहीं करेगा जो अधिनियम द्वारा या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या कम्पनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद द्वारा या अन्य प्रकार से कम्पनी की सामान्य बैठक में प्रयोग किए जाने या किए जाने के लिए अपेक्षित है।
- परन्तु यह भी कि ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए या ऐसा कोई कार्य करते हुए मंडल तत्संदर्भ में अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम में या कम्पनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में या सामान्य बैठक में कम्पनी द्वारा बनाए गए विनियमों सहित उसके अनुरूप विनियमों में और उसके अधीन विधिवत बनाए गए उल्लिखित प्रावधानों के अधीन होगा।

- (2) No regulation made by the Company in General Meeting shall invalidate any prior Act of Board, which would have been validated if that regulation had not been made.
- (3) The Company shall pursue the main objects as laid down in its Memorandum of Association keeping in view the extent of budgetary allocation made to it by the Government for the purpose of grant of concessional finance to the Backward Classes in selected cases. It shall work in close coordination with similar bodies in the States for developing a network. It shall also avoid overlapping in the disbursement of Government money on the same target Group.

SPECIFIC POWERS TO  
THE BOARD

TO ACQUIRE  
PROPERTY

WORK OF CAPITAL  
NATURE

TO PAY FOR  
PROPERTY IN  
DEBENTURES ETC.

56. Without prejudice to the general powers conferred by the preceding Article and other powers conferred by these articles and subject to the provisions of the Act, the Board shall have the following powers:
  - (1) To purchase, take on lease or otherwise acquire for the Company, property rights or privileges which the Company is authorized to acquire at such price, and generally on such terms and conditions as it thinks fit.
  - (2) To authorize the undertaking of works of capital nature, subject to the condition that a special budget involving expenditure on acquisition of fixed assets other than the replacement of existing assets and assets costing more than Rs. 50.00 lakhs shall be submitted to administrative Department for obtaining prior approval of Government.
  - (3) To pay for any property, rights or privileges acquired by or services rendered to the Company either wholly or partially in cash or in shares, bonds, debentures, or other securities of the Company and any such shares may be issued either as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon and any such bonds, debentures or other securities may be either specifically charges upon all or any part of the property of the Company and its uncalled capital, or not so charged.

- (2) सामान्य बैठक में कम्पनी द्वारा बनाया गया कोई विनियम मंडल के किसी पूर्व कार्य, जो मान्य हो गया होता यदि वह विनियम नहीं बनाया गया होगा, को अमान्य नहीं करेगा।
- (3) कम्पनी, चुने हुए मामलों में पिछड़ी जातियों को रियायती वित्त के अनुदान के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उसे दिए गए बजटीय आबंटन की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्था के संगम ज्ञापन में वर्णित मुख्य उद्देश्यों को बढ़ावा देगी। यह राज्य में इसी तरह के निकायों के साथ एक नेटवर्क का विकास करने के लिए निकट समन्वय रखकर कार्य करेगी। यह उसी लक्षित समूह पर सरकारी धनराशि के वितरण में अतिव्याप्ति को भी रोकेगी।

#### मण्डल की विशिष्ट शक्तियां

56. पूर्व उल्लिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों तथा इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन मंडल की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी:

#### सम्पत्ति अर्जित करना

(1) कम्पनी के लिए उन सम्पत्ति अधिकारी या विशेषाधिकारी जिन्हें अर्जित करने के लिए कम्पनी अधिकृत है, को ऐसे मूल्य तथा सामान्यतः ऐसे नियम व शर्तों पर खरीदना, पट्टे पर लेना या अन्य प्रकार से अर्जित करना जिन्हें वह ठीक समझे।

#### उत्कृष्ट प्रकृति के कार्य

(2) उत्कृष्ट किस्म के कार्यों को आरम्भ करने को इस शर्त के अधीन प्राधिकृत करना कि एक विशेष बजट जिसमें विद्यमान परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के अलावा स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण का व्यय शामिल है, को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक विभाग में जमा कराया जाएगा।

#### सम्पत्ति का भुगतान ऋणपत्रों आदि में करना

(3) कम्पनी द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति, अधिकारी या विशेषाधिकारों अथवा कम्पनी को अर्पित पूर्णतः या अंशतः सेवाओं का नकद या शेयरों, बंध पत्रों या कम्पनी की अन्य जमानत राशियों में भुगतान करना तथा ऐसे कोई शेयर या तो पूर्णतः प्रदत्त या उस पर प्रदत्त की तरह जमा की गई ऐसी राशि के साथ जैसी सहमति हुई हो, जारी किए जा सकते हैं तथा ऐसे बंधपत्र, ऋणपत्र या उसके किसी भाग ओर उसकी अनाहूत पूंजी पर विशेष रूप में प्रभारित की जा सकती है अथवा इस तरह प्रभारित नहीं जा सकती है।

TO SECURE  
CONTRACT BY  
MORTGAGE

- (4) To secure the fulfillment of any contracts or commitments entered into by the Company by mortgage or charge and its uncalled capital for the time being or in such manner as they may think fit.

TO CREATE POSTS  
AND APPOINT  
OFFICER ETC.

- (5) (i) To create posts of officers and staff for the Company from time to time; and
- (ii) To appoint and, at their discretion, remove or suspend such officers and staff for permanent, temporary or special services as it may from time to time think fit and to determine its powers and duties and keeping in view the general guidelines issued by the Bureau of Public Enterprises on the subject and fix their salaries or emoluments and to require security in such instances and to such amount as it thinks fit.

TO APPOINT  
TRUSTEES

- (6) To appoint any person or persons (whether incorporate or not) to accept and hold in trust for the Company, any property belonging to the Company or in which it is interested or for any other purpose and to execute and do all such deeds and other things as may be requisite in relation to any such trust and to provide for the remuneration of such trustee of trustees.

TO BRING AND  
DEFEND ACTION ETC.

- (7) To institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the company and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demands by or against the Company.

TO REFER TO  
ARBITRATION

- (8) To refer any claim or demand by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.

TO GIVE RECEIPTS

- (9) To make and give receipts, release and other discharges for money payable to the Company and for the claims and demands of the Company.

TO AUTHORISE  
ACCEPTANCE ETC.

- (10) To determine who shall be entitled to sign on Company's behalf bills, receipts, acceptances, endorsements, cheques, release contracts and documents.

**बंधक पत्र द्वारा संविदा सुनिश्चित करना**

(4) कम्पनी द्वारा की गई किन्हीं संविदाओं या वचनबद्धताओं का, बंधकपत्र या प्रभार और इनकी अनाहूत पूंजी द्वारा फिलहाल या इस रीति से जैसी वे ठीक समझें, पालन सुनिश्चित करना।

**पदों का सृजन तथा अधिकारियों आदि को नियुक्त करना**

(5) (1) समय-समय पर कम्पनी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन करना।  
(2) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थाई, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए जैसा भी यह समय-समय पर ठीक समझे, नियुक्त करना तथा अपने विवेक के आधार पर हटाना या निलम्बित करना और इनकी शक्तियों व कर्तव्यों को निर्धारित करना तथा इस विषय पर लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी सामान्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन या पारिश्रमिक निश्चित करना, तथा ऐसे मामलों में व ऐसी राशि तक जिसे वह एक समझें, जमानत मांगना।

**न्यासियों को नियुक्त करना**

(6) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को (चाहे निगमित हों या नहीं) कम्पनी के न्यास तथा कम्पनी के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों या जिसमें इसकी रुचि है, में न्यासी के पद को स्वीकार व धारण करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तथा ऐसे सभी कार्यों व अन्य बातों, जो ऐसे न्यास के संबंध में अपेक्षित हैं, को करने व उनके निष्पादन के लिए, नियुक्त करना तथा ऐसे न्यासी या न्यासियों के पारिश्रमिक की व्यवस्था करना।

**कार्यवाही आदि का निष्पादन तथा उससे बचाव करना**

(7) कम्पनी या इसके अधिकारियों द्वारा या इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों या अन्य प्रकार से कम्पनी से जुड़े मामलों को निष्पादित करना, संचालित करना, बचाव कार्य करना, समझौता करना या छोड़ देना तथा कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध भुगतान या किन्हीं दावों या मांगों को पूर्ण करने के लिए समय देना या समझौता करना।

**पंचाट को सन्दर्भित करना**

(8) कम्पनी द्वारा या इसके विरुद्ध किसी दावे या मांग के पंचाट को संदर्भित करना तथा पंचाट के निर्णयों को मानना व पालन करना।

**रसीदें देना**

(9) कम्पनी को देय धन के लिए तथा कम्पनी के दावों व मांगों के लिए रसीदें, विमुक्ति तथा अन्य उन्मुक्तियाँ तैयार करना व जारी करना।

**स्वीकृति आदि को प्राधिकृत करना**

(10) यह तय करना कि कम्पनी की ओर से बिलों, रसीदों, स्वीकृतियों, पृष्ठाकनों, चैकों, विमुक्ति संविदाओं तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन प्राधिकृत होगा।

TO APPOINT  
ATTORNEYS

- (11) To provide from time to time for the management of the affairs of the Company in such manner as it think fit, and in particular to appoint any person to be the attorney or agent of the Company (power to sub-delegate) and upon such terms as may be thought fit.

TO INVEST MONEY

- (12) To invest, subject to such general or special directive, if any, given by the Government, in this behalf in securities or in any other Scheduled Bank or Banks or their subsidiaries and in Government Companies to be specifically decided by the Board for having call deposit and opening saving/current accounts and deal with any of the money of the Company upon such investment authorized by the Memorandum of Association of the Company (not being shares in this Company) and in such manner as it thinks fit, and from time to time to vary or release such investment.

TO SELL OR  
TRANSFER THE  
BUSINESS OR  
PROPERTY

- (13) Subject to the provisions regarding consent of the President to sell or dispose of or transfer the business activity or property, if any of the Company or any part thereof for such consideration as the Company may deem proper and in particular for shares, debentures or securities of any other Company having objects altogether or in part similar to these of the Company.

TO EXECUTE  
MORTGAGES BYWAY  
OF INDEMNITY

- (14) To execute after obtaining the previous approval of the Government in the name and on behalf of the Company in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's property (present and future) as it thinks fit and any such mortgages may contain a power of sale and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed upon.

TO MAKE BYE-LAWS

- (15) To make, vary and repeal from time to time bye-laws for the regulation of the business of the Company, its officers and servants.

TO MAKE CONTRACTS  
ETC.

- (16) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purpose of the Company.

**अटार्नीगण को नियुक्त करना**

(11) कम्पनी के मामलों के प्रबन्धन की, समय-समय पर, ऐसी रीति से जिसे यह ठीक समझे, व्यवस्था करना, तथा विशेष रूप में किसी को, उपयुक्त शर्तों पर कम्पनी का अटार्नी या अभिकर्ता (उप-प्रत्यायोजन की शक्ति वाला) नियुक्त करना।

**धन निवेश करना**

(12) सरकार द्वारा इस बारे में दिए गए ऐसे सामान्य या विशेष दिशा-निर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, प्रतिभूतियों में या किसी अन्य निर्धारित बैंक या बैंकों में या उनकी पूरक संस्थाओं में तथा मंडल द्वारा विशेष रूप से निश्चित की गई सरकारी कम्पनियों में आहूत जमा रखने तथा बचत/चालू खाते खोलने और कम्पनी के किसी धन (जो कम्पनी में शेयर के रूप में न हो) को कम्पनी के संगम ज्ञापन द्वारा प्राधिकृत ऐसे निवेश पर ऐसी रीति से लगाना जिसे यह ठीक समझे, और समय-समय पर ऐसे निवेश में परिवर्तन करना या इसे मुक्त करना।

**व्यापार या सम्पत्ति को बेचना या स्थानान्तरित करना**

(13) राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित प्रावधानों के अधीन कम्पनी की व्यापार गतिविधि या सम्पत्ति, यदि कोई है, को या उसके किसी भाग को, ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे कम्पनी उचित समझे तथा विशेष रूप से अन्य कम्पनी जिसके उद्देश्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इस कम्पनी के उद्देश्यों की तरह हों, के शेयरों, ऋणपत्रों या प्रतिभूतियों के लिए, बेचना या निपटाना या स्थानान्तरित करना।

**क्षतिपूर्ति के माध्यम से बंधक पत्रों को निष्पादित करना**

(14) कम्पनी के नाम में तथा उसकी ओर से किसी निदेशक या अन्य व्यक्ति, जो कम्पनी के लाभ के लिए कोई जिम्मेदारी ले सकता हो या लेने वाला हो, के पक्ष में सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कम्पनी की सम्पत्ति (वर्तमान तथा भावी) के ऐसे बंधकपत्रों को, जैसे वह ठीक समझे, निष्पादित करना तथा जैसे बंधकपत्र में विक्रय की शक्ति व ऐसी अन्य शक्तियां, औचित्य तथा प्रावधान, जिन पर सहमति हो जाए, समाहित हो सकते हैं।

**उपनियम बनाना**

(15) कम्पनी के कार्य, इसके अधिकारियों व कर्मचारियों के विनियमन के लिए समय-समय पर उपनियम बनाना, उनमें परिवर्तन करना तथा उन्हें निरस्त करना।

**संविदाएं आदि करना**

(16) ऐसे सभी समझौते तथा संविदाएं करना तथा ऐसी सभी संविदाओं को निरस्त करना व परिवर्तन करना तथा कम्पनी के नाम में तथा उसकी ओर से ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों व बातों को निष्पादित करना, जिन्हें कम्पनी के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त मामलों में से किसी के लिए या उसके संबंध में या अन्य प्रकार से, उचित समझा जाए।



TO DELEGATE  
POWERS

- (17) To delegate all or any of the powers, authorities and discretion for the time being vested in it, subject, however, to the ultimate control and authority being retained by it.

SPECIFIC POWER OF  
BOARD

57. Without prejudice to the generally of the above provisions, the Board shall reserve for decision of the President-
- (1) Sale , lease or disposal otherwise of the whole or substantially the whole of the undertaking of the Company;
- (2) Formation of subsidiary Company.

**X. APPOINTMENT OF MANAGING DIRECTOR**

58. (1) The President may appoint any one of the Directors of the Board (other than those who may be members of the State Legislature or parliament) to be the Managing Director for such period and upon such terms as he may think fit; for the conduct of management of the business of the Company subject to the control and supervision of the Board of Directors. The selection of first incumbent to the post of Managing Director shall be made by the Ministry of Social Justice and Empowerment with the Approval of the Appointment Committee of Cabinet (A.C.C.). Subsequent selections will be made through the Public Enterprises Selection Board (PESB). the Managing Director so appointed may be authorised by the Board to exercise such of the powers and discretion in relation to the affairs of the Company as are specifically delegated to him by the Board and are not required to be done by the Board of Directors of the Company at the General Meeting under the Act.
- (2) The Managing Director shall be paid salary in the scale of pay of Rs. 7300-7600 and other usual allowances.
- (3) In the absence of Managing Director on leave or otherwise, the Board may empower any other Director or any principal officer of the Company to perform all of his functions provided that the previous approval of President shall be necessary when such absence is likely to exceed 3 months.

## शक्तियों को प्रत्योजित करना

- (17) इसमें निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारी व विवेक को, फिलहाल इस बात के अधीन प्रत्यायोजित करना कि अन्ततः नियंत्रण तथा प्राधिकार इसके पास ही सुरक्षित रहेंगे।

## मण्डल की विशिष्ट शक्ति

57. उपर्युक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डल राष्ट्रपति के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगा:-
- (1) कम्पनी के सारे उद्यम की पूर्णतः या अंशतः बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से निपटान,
- (2) एक सहायक कम्पनी का निर्माण।

## X. प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

58. (1) राष्ट्रपति, मंडल के निदेशकों में से किसी एक को (संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य को छोड़कर) ऐसी समयावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जिन्हें व ठीक समझे, कम्पनी के कार्य के प्रबन्ध के संचालन के लिए निदेशक-मंडल के नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अधीन, प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर सकते हैं। प्रबन्ध निदेशक के पद पर पहले पदधारी का चयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (ए.सी.सी.) के अनुमोदन से किया जाएगा। उसके पश्चात् लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.इ.एस.बी.) के माध्यम से चयन किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त प्रबन्ध निदेशक को मंडल द्वारा कम्पनी के मामलों के संबंध में ऐसी शक्तियों व विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है, जिन्हें मंडल द्वारा उसे विशिष्ट रूप से प्रत्यायोजित किया जा सकता है, तथा जो अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक-मंडल द्वारा सामान्य बैठक में विचार किए जाने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- (2) प्रबन्ध निदेशक को अन्य सामान्य भत्तो सहित 7300-7600 के वेतनमान में वेतन दिया जाएगा।
- (3) मंडल, कम्पनी के किसी अन्य निदेशक या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पबंध निदेशक के छुट्टी पर होने या अन्य कारण से उसकी अनुपस्थिति में, उसके सभी कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकार प्रदान कर सकता है, परन्तु ऐसी अनुपस्थिति तीन माह से ज्यादा होने की अवस्था में राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

## **XI. COMPANY SECRETARY**

59. Subject to the applicable provisions of the Act, a Company Secretary may be appointed by the Board with the prior approval of the Government for such time and at such remuneration and upon such conditions as it may think fit and any Secretary so appointed may be removed by the Board

## **XII. MINUTES**

BOARD TO CAUSE  
MINUTES TO BE MADE  
IN BOOKS

60. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose in accordance with the provisions of Section 193 of the Act:

- (a) of all appointments of officers made by the Directors;
- (b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any Committee of the Directors;
- (c) of all resolutions and proceedings at the meetings of the Company, and of the Directors, and of the Committees of Directors;

and every Director present at any meeting of Directors or Committee of Directors shall sign his name in a book to be kept for purpose.

## **XIII. SEAL**

SEAL

61. The Seal shall not be affixed to any instrument (other than a Share Certificate) except by the authority of a resolution of the Board of Directors and in the presence of one Director at the least provided, however, the Board of Director may authorise by resolution the Managing Director or any other Director to affix the Seal on any instrument (other than a Share Certificate) whenever it is legally required. In the case of Share Certificate the Seal shall be affixed in the presence of (i) two Directors or persons acting on behalf of the Directors under a duly registered power of attorney; and (ii) the Secretary or some other person appointed by the Board for the purpose.

## XI. कम्पनी सचिव

59. अधिनियम के लागू प्रावधानों के अधीन, मंडल द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी समयावधि के लिए तथा ऐसे पारिश्रमिक व ऐसी शर्तों पर जिन्हें यह ठीक समझे, एक कम्पनी सचिव नियुक्त किया जा सकता है तथा इस तरह नियुक्त किसी सचिव को मंडल द्वारा हटाया जा सकता है।

## XII. कार्यवृत्त

मंडल कार्यवृत्त को पुस्तिकाओं में अंकित करना सुनिश्चित करेगा

60. अधिनियम की धारा 193 के अनुसार निदेशकगण निम्नलिखित कार्यवृत्त को इस प्रयोजन हेतु रखी गई पुस्तिकाओं में अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

- (क) निदेशकगण द्वारा की गई अधिकारियों की सभी नियुक्तियां;
- (ख) निदेशकों की तथा निदेशकों की किसी समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित निदेशकगणों के नाम;
- (ग) कम्पनी की बैठकों के सभी प्रस्तावों व कार्यवाहियों का एवं निदेशकों की समिति की किसी बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक इस प्रयोजन हेतु रखी गई एक पुस्तिका में अपना नाम हस्ताक्षरित करेगा।

## XIII. मोहर

मोहर

61. निदेशक-मंडल के प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किए जाने तथा कम से कम एक उपलब्ध निदेशक की उपस्थिति के बिना किसी भी दस्तावेज (शेयर प्रमाण पत्र के अलावा) पर मोहर नहीं लगाई जाएगी, परन्तु फिर भी निदेशक-मंडल जब भी यह विधिक रूप से जरूरी हो, प्रस्ताव द्वारा प्रबंध निदेशक या किसी अन्य निदेशक को किसी दस्तावेज (शेयर प्रमाण पत्र के अलावा) पर मोहर लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। शेयर प्रमाण पत्र के मामले में मोहर (1) दो निदेशकों या निदेशकों की ओर से विधिवत् पंजीकृत मुख्तारनामे के तहत काम कर रहे व्यक्तियों तथा (2) सचिव या मंडल द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में लगाई जाएगी।

#### **XIV. DISQUALIFICATION OF DIRECTORS**

##### **DISQUALIFICATION OF DIRECTORS**

62. The office of a Director shall become vacant if:
- (a) he is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
  - (b) he applies to be adjudicated an insolvent;
  - (c) he is adjudged an insolvent;
  - (d) he is convicted by a Court in India for any offence and is sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six month.
  - (e) he fail to pay any call in respect of Shares of the Company held by him, whether alone or jointly with others, within six months from the last date fixed for payment of the call;
  - (f) he absents himself from three consecutive meetings of the Board or from all meetings of the Board for a continuous period of 3 months, whichever is longer, without obtaining leave of absence from the Board;
  - (g) he or any firm in which he is a partner or any private company of which he is Director, accepts a loan or any, guarantee or security for a loan, from the Company;
  - (h) he fails to disclose the nature of his concern or interest in any contract or agreement or proposed contract or arrangement entered into by/or on behalf of the Company as required under Section 299 of the Act;
  - (i) he becomes disqualified by order of the Court under Section 203 of the Act;
  - (j) he is removed in pursuance of Section 284 of the Act;

#### XIV. निदेशकों की अयोग्यता

##### निदेशकों की अयोग्यता

62. एक निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा, यदि
- (क) वह किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मानस वाला पाया जाता है;
  - (ख) वह दिवालिया घोषित किये जाने हेतु आवेदन करता है;
  - (ग) वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है;
  - (घ) वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी करार दिया जाता है तथा उस संबंध में उसे कम से कम छः मास के कारावास की सजा सुनाई जाती है;
  - (ङ.) वह कम्पनी के स्वयं द्वारा, चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, धारित शेयरों के संबंध में किसी मांग को, देय के भुगतान हेतु नियत अन्तिम तिथि से छः माह के भीतर, अदा करने में असफल रहता है;
  - (च) वह मंडल से अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी लिए बिना मंडल की तीन लगातार बैठकों से या लगातार तीन माह की अवधि तक, जो भी अधिक हो, मंडल की बैठकों में अपने को अनुपस्थित रखता है;
  - (छ) वह या कोई फर्म जिसमें वह भागीदार है या कोई निजी कम्पनी, जिसका वह एक निदेशक है, कम्पनी से कोई ऋण या कोई प्रतिभूति या ऋण के लिए जमानत स्वीकार करता है;
  - (ज) वह कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार या प्रस्तावित संविदा या करार में, अपनी संलग्नता या दिलचस्पी की प्रकृति, जैसा कि अधिनियम की धारा 299 द्वारा अपेक्षित है, स्पष्ट करने में असफल रहता है;
  - (झ) वह अधिनियम की धारा 203 के तहत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य हो जाता है;
  - (ञ) उसे अधिनियम की धारा 284 के अनुसरण में हटा दिया जाता है,

- (k) he has retired resigned or otherwise removed from the official position on account of which he was nominated to the Board.
- (l) he is concerned or participates in the profits of any contract with Company provided, however;

No Director shall vacate his office by reason of his becoming a member of any Company which has entered into contract with or done any work for the Company of which he is Director but a Director shall not vote in respect of any such contract or work and if he does so, his vote shall not be counted.

Disqualification referred to in Sub-clauses (c), (d) and (i) above shall not take effect:

- (a) for thirty days from the date of adjudication, sentence or order;
- (b) where any appeal or petition is preferred within 20 days aforesaid against the adjudication, or conviction resulting in the sentence or order; until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petition is disposed of; or
- (c) Where within the seven days of aforesaid, any further appeal or petition in respect of the adjudication, sentence, conviction, or order and the appeal or petition, if allowed, would result in the removal of the disqualification, until such further appeal or petition is disposed of.

## **XV. PROCEEDING OF BOARD OF DIRECTORS**

MANAGING  
DIRECTOR MAY  
SUMMON MEETING  
HOW QUESTION TO BE  
DECIDED

- 63. The Managing Director or in his absence the Secretary may at any time convene a meeting of the Board of Directors. Questions arising at any meeting shall be decided by majority of votes. The Chairman shall have second or casting vote.

- (ट) वह सेवा-निवृत्त हो गया है, उसने त्यागपत्र दे दिया है या अन्य प्रकार से उसे अधिकारिक पद से हटा दिया गया है जिसके कारण वह मंडल द्वारा नामंकित किया गया था; और
- (ठ) वह कम्पनी के साथ हुई किसी संविदा के लाभों में संलग्न है या हिस्सा लेता है,

तथापि, किसी निदेशक का पद इस कारण रिक्त नहीं माना जाएगा कि वह ऐसी कम्पनी का सदस्य है जिसने उस संविदा में भाग लिया है या उसने उस कम्पनी के लिए कोई कार्य किया है जिसका वह निदेशक है। लेकिन एक निदेशक किसी ऐसी संविदा या कार्य के संबंध में मतदान नहीं करेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो उसका वोट गिना नहीं जाएगा।

उपर्युक्त उपखण्ड (ग), (घ) तथा (ड.) में उल्लिखित अयोग्यता निम्नलिखित के सम्बंध में प्रभावी नहीं होगी:

- (क) न्यायनिर्णय, दण्डादेश या आदेश की तिथि से तीस दिन तक,
- (ख) जहां पूर्वोक्त के 20 दिन के भीतर, न्यायनिर्णय या दण्डादेश, दोषसिद्धि या आदेश का परिणाम देने वाली दोषसिद्धि के खिलाफ कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की जाती है, उस तिथि से, जिस पर ऐसी अपील या याचिका का निपटारा होता है, सात दिन की समाप्ति तक, या
- (ग) जहां उपर्युक्त के सात दिन के भीतर, न्याय-निर्णय, दण्डादेश, दोषसिद्धि या आदेश के संदर्भ में कोई आगे अपील या याचिका प्रस्तुत की जाती है तथा ऐसी अपील या याचिका, यदि स्वीकृति हो जाती है तो, ऐसी आगे की गई अपील या याचिका का निपटारा हो जाने तक वह अयोग्यता हट जाएगी।

#### XV. निदेशक-मंडल की कार्यवाहियां

प्रबन्ध निदेशक बैठक बुला सकता है - प्रश्नों पर कैसे निर्णय लिया जाएगा

63. प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में सचिव किसी भी समय निदेशक-मंडल की बैठक आयोजित कर सकता है। किसी बैठक में उठने वाले प्रश्नों पर मतों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।



**MEETINGS OF THE  
BOARD AND THEIR  
NOTICE**

64. A meeting of the Board of Director shall be held for the dispatch of the business of the Company at least once in every three calendar months and at least four such meeting shall be held every calendar year as required under Section 285 of the Act.

**QUORUM  
MEETING**

**FOR**

65. The quorum for a meeting of the Board of the Company shall be one-third of its strength (total strength as determined by the Act and any fraction in that one-third being rounded off as one) or two directors whichever is higher; provided that where at any time, the number of interested Directors exceeds or is equal to two-third of the total strength, the number of remaining Directors who are not interested not being less than two shall be quorum during such time.

**CHAIRMAN  
DIRECTORS  
MEETING**

**OF**

66. The President may, from among the Directors, nominate one as Chairman of the Board of Director's meetings and determine the period for which he is to hold office. In any meeting , if the Chairman is not present, a senior Director shall preside over the meeting.

**DELEGATION  
POWERS  
COMMITTEE**

**OF  
TO**

67. The Board of Directors may, subject to the provisions of Section 292 and 297 of the Act, delegate any of the powers to a Committee consisting of such member or members of their body as they think fit. Proceedings of such committees shall be placed before the Board of Directors at the next meeting.

**WHEN ACTS OF  
DIRECTORS OF  
COMMITTEE VALID  
NOTWITHSTANDING  
DEFECTIVE  
APPOINTMENT ETC.**

68. All acts done by any meeting of the Board or of a Committee of Directors, or by any person acting as a Director, shall notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of such Director or persons acting as aforesaid or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be Director.

Provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by Director after his appointment has been shown to the Company to be invalid or to have terminated.

**RESOLUTION  
WITHOUT BOARD  
MEETING VALID**

69. A resolution in writing signed by all the Directors shall, subject to Section 289 of the Act, be as valid and effectual as if it has been passed at a meeting of the Board of Director duly called and constituted.

- मंडल की बैठकें तथा उनकी सूचना** 64. जैसा कि अधिनियम की धारा 285 के तहत अपेक्षित है, कम्पनी के कार्य को निपटाने के लिए निदेशक-मंडल की प्रत्येक तीन कलैण्डर माहों में कम से कम एक बार तथा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में ऐसी बार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- बैठक के लिए गणपूर्ति** 65. कम्पनी के मंडल की एक बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) उसकी संख्या (कुल संख्या जैसा कि अधिनियम द्वारा निर्धारित है तथा उस एक तिहाई में किसी अंश को एक मानते हुए) का एक तिहाई या दो निदेशकगण, जो भी ज्यादा हो, होगी, परन्तु जहां किसी समय इच्छुक निदेशकों की संख्या बढ़ जाती है या कुल संख्या के दो-तिहाई के बराबर हो जाती है तो शेष निदेशकों की संख्या जो इच्छुक नहीं है तथा दो से कम नहीं है, ऐसे समय के लिए गणपूर्ति होगी।
- निदेशकों की बैठक का अध्यक्ष** 66. राष्ट्रपति, निदेशकों में से एक को निदेशक-मंडल की बैठकों के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकते हैं तथा उस समयवधि को निर्धारित कर सकते हैं तथा उस समयावधि को निर्धारित कर सकते हैं जिसके लिए उसे पद की धारित करना है। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो किसी बैठक में एक वरिष्ठ निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- समिति की शक्तियों का प्रत्यायोजन** 67. अधिनियम की धारा 292 तथा 297 के प्रावधानों के अधीन, निदेशक-मंडल किन्हीं शक्तियों को अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों, जिन्हें वे ठीक समझें, से बनी एक समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है। ऐसी समिति की कार्यवाहियां अगली बैठक में निदेशक-मंडल के समझ रखी जाएंगी।
- त्रुटिपूर्ण नियुक्ति आदि के बावजूद कब समितियों के निदेशकों के कार्य वैध होंगे** 68. मंडल की किसी बैठक या निदेशकों की एक समिति या निदेशक के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य, इसके बावजूद कि बाद में यह पता चलता है कि ऐसे निदेशकों या पूर्वोक्त के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की नियुक्ति में कुछ त्रुटि थी, ऐसे वैध होंगे मानो की प्रत्येक ऐसा व्यक्ति विधिवत् नियुक्त किया गया है और निदेशक होने के योग्य है।
- परन्तु इस अनुच्छेद में कोई बात एक ऐसे निदेशक द्वारा किए गए कार्यों को वैधता प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसकी नियुक्ति कम्पनी के लिए अवैध या समाप्त प्रदर्शित कर दी गई हो।
- मंडल की बैठक के बिना प्रस्ताव वैध होगा** 69. सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रस्ताव, अधिनियम की धारा 289 के अधीन, उसी तरह वैध व प्रभावपूर्ण होगा, मानो यह निदेशक-मंडल की एक विधिवत् आयोजित की गई बैठक में पारित किया गया हो।

## **XVI. RESERVE FUND**

### **RESERVE FUND**

70. The Board may set aside, out of the profits of the Company or otherwise, such sums as they may think proper as a reserve fund, to meet contingencies or for repairing, improving and maintaining any of the property of the Company and for such other purpose as the Board shall in its absolute discretion think conducive to the interest of the Company and may invest the several sums so set aside upon such investments (other than shares of the company) as it thinks fit from time to time deal with and vary such investments and dispose of all or any part thereof in the business of the Company; and that without being bound to keep the same separate from the other assets.

## **XVII. ACCOUNTS**

### **ACCLUNTS TO BE KEPT**

71. The Company shall cause to be kept proper books of accounts with respect to :

- (a) All sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place.
- (b) All sales and purchase of goods by the Company.
- (c) The assets and liabilities of the Company.

### **INSPECTON OF BOOKS OF ACCOUNTS**

72. The books of accounts shall be kept at the Registered Office of the Company or at such other place as the Board shall think fit and shall be open to inspection by Directors during business hours as per conditions laid down by the Board subject to provisions of law in this respect.

### **ANNUAL ACCOUNT AND BALANCE SHEET**

73. The Board shall at some date not later than 18 months after the incorporation of the Company and subsequently once at least in every financial year lay before the company in Annual General Meeting a Balance Sheet and Income and Expenditure Account as per provisions of Section 210 of the Act.

In the case of the first Annual General Meeting of the Company to the period beginning with the incorporation of the Company and ending with a day which shall not precede the day of the meeting by more than nine months; and

In the case of any subsequent Annual General Meeting of the Company to the period beginning with the day immediately after the period for which the account was last submitted and ending with a day which shall not precede the day of the meeting by more than six months, or in case where an extension of time has been granted for holding the meeting under the second provision of Sub-Section (1) of Section 166, by more than six months and the extension so granted.

## XVI. आरक्षित निधि

### आरक्षित निधि

70. मंडल, कम्पनी के लाभों में से या अन्य प्रकार से, ऐसी राशियों को, जैसी वह उचित समझे, आकस्मिक व्ययों को पूरा करने या कम्पनी की किसी सम्पत्ति की मरम्मत, सुधार या व्यवस्था के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन्हें मंडल अपने स्पष्ट विवेक से कम्पनी के हित में अनुकूल समझे, एक आरक्षित निधि के रूप में अलग रख सकता है तथा इस तरह अलग रखी गई विभिन्न राशियों को ऐसे निवेशों (कम्पनी के शेयरों से अलग) में लगा सकता है जैसा यह समय-समय पर ठीक समझे तथा ऐसे निवेशों में परिवर्तन कर सकता है और कम्पनी के कार्य में उनके किसी भाग का या सबका निपटान कर सकता है तथा यह कि वह उक्त को अन्य परिसम्पत्तियों से पृथक रखने के लिए बाध्य नहीं है।

## XVII. लेखे

### लेखों का रखा जाना

71. कम्पनी निम्नलिखित के संदर्भ में उचित लेखा पुस्तिकाएं(बहियां) रखना सुनिश्चित करेगी:

- (क) कम्पनी द्वारा प्राप्त एवं खर्च की गई सभी धनराशियां तथा वे मामले जिनके बारे में प्राप्ति तथा व्यय होता है।
- (ख) कम्पनी द्वारा वस्तुओं का सभी क्रय-विक्रय।
- (ग) कम्पनी की परिसम्पत्तियां तथा देनदारियां।

### लेखा बहियों का निरीक्षण

72. लेखा बहियां कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे मंडल ठीक समझेगा, रखी जाएंगी तथा निदेशकों द्वारा निरीक्षण के लिए, कार्य समय में, इस बारे में कानून के प्रावधानों के अधीन मंडल द्वारा

### वार्षिक लेखा एवं तुलन-पत्र

73. मंडल, कम्पनी के निगमन के बाद 18 माह से पहले किसी तिथि पर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, वार्षिक सामान्य बैठक में, अधिनियम की धारा 210 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सामने एक तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय को लेखा प्रस्तुत करेगा।

कम्पनी की प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में कम्पनी के निगमन से लेकर बैठक के समाप्त होने तक की अवधि नौ माह से अधिक होगी तथा

कम्पनी की किसी उत्तरवर्ती वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में उस अवधि जिसके लिए पिछली बार लेखा सम्मिलित किया गया था, के तत्काल बाद वाले दिन से शुरू होने तथा बैठक के दिन समाप्त होने वाली अवधि छः माह से अधिक होगी, या उस मामले में जहां बैठक के आयोजन के लिए धारा 166 की उपधारा (1) के द्वितीय प्रावधान के तहत समय का विस्तार स्वीकृति किया गया है, (यह अवधि) छः माह तथा इस प्रकार स्वीकृत की गई समय के विस्तार की अवधि होगी।

ANNUAL REPORT OF  
THE BOARD

74. The Board shall make out and attach to every Balance Sheet a report with respect to the state of the Company's affairs, the amount, if any, which it recommends should be paid by way of dividend and the amount, if any, which it proposes to carry to the Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account shown specifically on the Balance Sheet or to a Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account to be shown specifically in subsequent Balance Sheet. The report shall be signed by the Chairman of the Board of the Directors on behalf of the Board. if authorised in that behalf by the Board.

CONTENTS OF  
INCOME AND  
EXPENDITURE  
ACCOUNTS

75. The Income and Expenditure account subject to the provisions of Section 211 of the Act and Schedule VI referred to therein show, arranged under the most convenient heads the amount of gross income distinguishing the several sources from which it has been derived, and the amount of gross expenditure distinguishing expenses of the establishment, salaries and other like matters every item of expenditure fairly chargeable against the year's income shall be brought into account so that a just balance of income and expenditure may be laid before the meeting and in case 'where any item of expenditure which may in fairness be distributed over several year have been incurred in any one year, the whole amount of such item shall be stated with the addition of the reason why only a portion of such expenditure is charged against the income of the year.

BALANCE SHEET  
INCOME AND  
EXPENDITURE  
ACCOUNT TO BE  
SENT TO MEMBERS

76. The Company shall send a copy of such Balance Sheet and Income and Expenditure account together with a copy of the auditors report to the registered address of every member of the Company in the manner in which notices are to be given there under at least four days before the meeting at which it is to be laid before the members of the Company.

BOARD TO COMPLY  
WITH SECTIONS 209  
TO 222 OF THE ACT

77. The Board shall in all respects comply with the provisions of Section 209 and 222 of the Act or any statutory, modifications thereof for the time being in force.

**XVIII. AUDIT**

ACCOUNT TO BE  
AUDITED  
ANNUALLY

78. Once at least in every financial year the accounts of the Company shall be examined and the correctness of Income and Expenditure Account and Balance Sheet ascertained by one or more auditors.

## मंडल की वार्षिक रिपोर्ट

74. मंडल, कम्पनी के कारोबार की स्थिति, वह धनराशि, यदि कोई है, जिसे यह लाभांश के रूप में भुगतान करने की अनुशंसा करता है तथा वह धनराशि जिसे यह तुलन-पत्र में विशेष रूप से आरक्षित निधि, सामान्य निधि या आरक्षित लेखे में रखने का प्रस्ताव करता है, को तुलन-पत्र में विशेष रूप से या आरक्षित निधि, सामान्य निधि के आरक्षित लेखे में दिखाए जाने की व्यवस्था करेगा और उसे विशेष रूप से पश्चात्कर्ती तुलन-पत्र में दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे प्रत्येक तुलन-पत्र में दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे प्रत्येक तुलन-पत्र के साथ संलग्न करेगा। यह रिपोर्ट, यदि मंडल इस बारे में अपनी ओर से प्राधिकृत करता है तो, मंडल की ओर से, निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

## आय एवं व्यय लेखे की विषयवस्तु

75. अधिनियम की धारा 211 के प्रावधानों तथा अनुसूचि 6 जिसमें कुल आय की धनराशि, उन स्रोतों को श्रेणीबद्ध करते हुए जिनसे यह प्राप्त हुई है, तथा कल व्यय की धनराशि, स्थापना, वेतन तथा वर्ष की आय में से उचित रूप से आदेश व्यय की प्रत्येक मद जैसे विषयों के खर्चों को श्रेणीबद्ध करते हुए, अति सुविधाजनक मदों में प्रदर्शित व वर्गीकृत की गई है, के अधीन आय एवं व्यय लेखा गणना में प्रदर्शित की जाएगी ताकि आय एवं व्यय का एक न्यायसंगत तुलनपत्र बैठक के समक्ष रखा जा सके तथा जहाँ व्यय की मद, जो कई वर्षों तक औचित्यपूर्ण ढंग से वितरित है, वहाँ ऐसी मद की पूरी धनराशि का इस कारण को जोड़ते हुए उल्लेख किया जाएगा कि ऐसे व्यय के केवल एक भाग को वर्ष की आय में से क्यों वसूल किया गया है।

## तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा सदस्यों को भेजा जाएगा

76. कम्पनी, ऐसे तुलन पत्र तथा आय एवं लेखे की एक प्रति, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कम्पनी के प्रत्येक सदस्य के पंजीकृत पते पर उस बैठक, जिसमें यह कम्पनी के सदस्यों के सामने रखी जानी है, से कम से कम चार दिन पहले, इस रीति से भेजेगी जैसी कि उसके तहत सूचनाएं दी जानी हैं।

## मंडल द्वारा अधिनियम की धारा 209 से 222 तक का अनुपालन किया जाएगा

77. मंडल सभी संदर्भों में अधिनियम की धारा 209 से 222 तक के प्रावधानों या उनके फिलहाल लागू किसी सांविधिक संशोधनों का अनुपालन करेगा।

## XVIII. लेखा-परीक्षा

## लेखों की प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा की जाएगी

78. प्रत्येक वित्तीय वर्ष कम से कम एक बार कम्पनी के लेखे की लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा आय एवं व्यय लेखे व तुलनपत्र की परिशुद्धता एक या अधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

APPOINTMENT OF  
AUDITORS AND  
THEIR  
REMUNERATION

79. The auditors of the company shall be appointed or reappointed by the Central Government on the advice of the Comptroller and Auditor General of India and his/their remuneration, rights and duties shall be regulated by Sections 224 to 233 of the Act.

AUDITORS' RIGHT  
TO ATTEND  
MEETING

80. The Auditors of the Company shall be entitled to receive notice of and to attend any general meetings of the Company at which any accounts which have been examined or reported on by them are to be laid before the Company and any make any statement or explanation they desire with respect to the Account.

POWER OF THE  
COMPTROLLER AND  
AUDITOR GENERAL

81. The Comptroller and Auditor General of India shall have power:

- (a) to direct the manner in which the Company's account shall be audited by the auditor/auditors appointed in pursuance of Article 79 hereof and to give such auditor/auditors instructions in regard to any matter relating to the performance of his/their functions as such; and
- (b) to conduct a supplementary or test audit of the Company's accounts by such person or persons as he may authorise in this behalf, and for the purpose of such audit to have access at all reasonable times to all accounts, Accounts Books, Vouchers, Documents and other papers of the Company and to require information or additional information to be furnished to any person or persons so authorised on such matters, by such person or persons and in such form as the Comptroller and Auditor General may by general or special order, direct.

COMMENTS UPON OR  
SUPPLEMENT TO  
AUDIT REPORT BY  
THE COMPTROLLER  
& AUDITOR GENERAL  
TO BE PLACED  
BEFORE GENERAL  
MEETING

82. The auditor/auditors aforesaid shall submit a copy of his/their audit report to the Comptroller and Auditor General of India who shall have the right to comment upon or supplement to the audit report in such manner as he may think fit. Any such Comments upon or supplement to the audit report shall be placed before the Annual General Meeting of the Company at the same time and in the same manner as the Audit Report.

ANNUAL REPORT TO  
BE LAID BEFORE  
PARLIAMENT

83. The Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of the Company to be:

- (a) Prepared within the three months of its Annual General Meeting before which the audit report as placed; and

- लेखा-परीक्षकों की नियुक्त तथा उनका पारिश्रमिक 79. केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर कम्पनी के लेखा-परीक्षक नियुक्त या पुनः नियुक्त किए जाएंगे तथा उसका/उनका पारिश्रमिक, अधिकार तथा कर्तव्य अधिनियम की धारा 224 से 233 द्वारा नियमित किए जाएंगे।
- लेखा-परीक्षकों का, बैठक में उपस्थित होने का अधिकार 80. कम्पनी के लेखा-परीक्षक कम्पनी की किसी भी ऐसी सामान्य बैठकों की सूचना पाने तथा उसमें उपस्थित होने के हकदार होंगे जिनमें उनके द्वारा परीक्षित या प्रतिवेदित कोई लेखे कम्पनी के सामने रखे जाने हैं तथा वे लेखे के संदर्भ में अपनी इच्छानुसार कोई वक्तव्य या स्पष्टीकरण दे सकते हैं।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति 81. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-  
 (क) उस रीति के बारे में निदेश करना जिसमें यहां वर्णित अनुच्छेद 79 के अनुसरण में नियुक्त लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकों द्वारा कम्पनी के लेखे की लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा ऐसे लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकों को उसके/उनके कार्यों के निष्पादन से जुड़े किसी मामले के संबंध में उसी तरह अनुदेश देना।  
 (ख) कम्पनी के लेखे की, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह इस बारे में प्राधिकृत करे, पूरक या परीक्षण लेखा-परीक्षा संचालित करना, तथा ऐसी लेखे-लेखा बहियों, वाउचरों, दस्तावेजों तथा कम्पनी के अन्य मामलों पर इस तरह प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तथा ऐसे रूप में जैसा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश करे, उपलब्ध कराने के लिए सूचना या अतिरिक्त सूचना की मांग करना।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियां या अनुपूरक टिप्पणियाँ सामान्य बैठक के सामने रखी जाएंगी। 82. उपयुक्त लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकगण अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास प्रस्तुत करेंगे जिस पर, उस रीति से जैसी वह ठीक समझें, टिप्पणियां करने या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की कमी पूरी करने का अधिकार होगा। ऐसी कोई टिप्पणियों या लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष उसी समय तथा उसी रीति से जैसे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, रखी जाएंगी।
- वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी 83. केन्द्र सरकार, कम्पनी की कार्यप्रणाली तथा कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के बारे में यह सुनिश्चित करेगी कि:  
 (क) इस उस वार्षिक सामान्य बैठक जिसमें लेखा-परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, के तीन माह के भीतर तैयार किया जाए, रखा



- (b) as soon as may be after such preparation, laid before both the Houses of the Parliament with a copy of the audit report and comments or supplement referred to in Article 82.

WHEN ACCOUNTS  
DEEMED FINALLY  
SETTLED

- 84. Every Account of the Board, when audited and approved by a general meeting, shall be conclusive except as regard any error discovered therein within three months next after the approval thereof. Whenever any such error is discovered within the period, the accounts shall forthwith be corrected and thenceforth shall be conclusive.

**XIX. RIGHTS OF THE PRESIDENT**

RIGHTS OF THE  
PRESIDENT

- 85. Notwithstanding anything contained in any of these Articles, the President may, from time to time, issue such directives as he may consider necessary in regard to the finance, conduct of business and affairs of the Company and in like manner may vary and annual such directives. The Company shall give immediate effect to the directives so issued. In particular the President will have the power-

- (i) to give directions to the Company as to the exercise and performance of its functions in matters involving national security and substantial public interest;
- (ii) to call for such returns, accounts and other information with respect to the property and activities of the Company as may be required from time to time;
- (iii) to approve agreements involving foreign collaboration proposed to be entered into by the Company;

Provided that all directives issued by the President shall be in writing addressed to the Chairman. The Board shall except where the President considers that the interest of the national security requires otherwise, incorporate the contents of directives issued by the president in the annual report of the Company and also indicate its impact on the financial position of the Company.

(ख) ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और अनुच्छेद 82 में निर्दिष्ट टिप्पणियों या अनुपूरक टिप्पणियों के साथ यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाए।

**लेखे कब अन्तिम रूप से तय माने जाएंगे** 84. मंडल के प्रत्येक लेखे को लेखा-परीक्षित होने व एक सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित होने पर अन्तिम रूप से तय माना जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जब उसके संबंध में अनुमोदन के बाद अगले तीन माह के भीतर कोई गलती पता चलती है। जब कभी, निर्धारित अवधि के भीतर, ऐसी कोई गलती पता चलती है, लेखा तदनुसार तुरन्त ठीक किया जाएगा तथा तभी से यह अन्तिम रूप से तय माना जाएगा।

#### XIX. राष्ट्रपति के अधिकार

##### राष्ट्रपति के अधिकार

8 इन अनुच्छेदों में से किसी में भी कुछ भी होते हुए, राष्ट्रपति, समय-समय पर ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं जैसे वह कम्पनी के वित्त, कार्य संचालन व मामलों के बारे में जरूरी समझते हैं, तथा उसी रीति से ऐसे दिशा-निर्देशों को परिवर्तित या उन्हें रद्द कर सकते हैं। इस तरह जारी दिशा-निर्देशों पर कम्पनी तत्काल अमल करेगी। विशेष रूप से राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित होंगी:-

- (1) राष्ट्रीय सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े मामलों में कम्पनी के कार्यों की निष्पादन स्थिति एवं इसके तरीके के बारे में कम्पनी को दिशा-निर्देश देना,
- (2) कम्पनी की सम्पत्ति तथा गतिविधियों के बारे में ऐसी रिपोर्टें, लेखे व अन्य सूचनाओं की मांग करना जो समय-समय पर अपेक्षित हों,
- (3) विदेशी सहयोग वाले ऐसे करारों को अनुमोदित करना जिनमें कम्पनी का प्रवेश करने का प्रस्ताव है;

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश लिखित में अध्यक्ष को संबोधित होंगे। मंडल, सिवाय उस स्थिति के जब राष्ट्रपति के विचार में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की दृष्टि से जरूरी है, कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विषयवस्तु को समाविष्ट करेगा तथा कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभाव को भी दर्शाएगा।

## **XX. NOTICES**

- |   |   |
|---|---|
| HOW NOTICE TO BE<br>SERVED ON<br>MEMBERS        | 86. A notice may be given by the Company to any member either personally or by sending it by post to him at his registered address.   |
| WHEN NOTICE MAY<br>BE GIVEN BY<br>ADVERTISEMENT | 87. If a member has no registered address and has not supplied to the Company an address for the giving of notices to him, a notice addressed to him and advertised in newspaper circulating in the neighborhood of the Registered Office of the Company shall be deemed to be duly given to him on the day on which the advertisement appears. |
| NOTICE TO JOINT<br>HOLDERS                      | 88. A notice may be given by Company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder whose name appears first in the register in respect of the share.   |
| HOW NOTICE TO BE<br>SIGNED                      | 89. The signature to any notice to be given by the Company may be written or printed.   |
| PERIOD OF NOTICE<br>HOW CIRCULATED              | 90. Where a given number of days' notice or notices extending over any other period is required to be given, the day of service shall unless it is otherwise provided, be counted in such number of days or other period.   |

## **XXI. WINDING UP**

- |  |  |
|--|--|
| DISTRIBUTION OF<br>ASSETS ON<br>WINDING UP | 91. The President may wind up the Company, if he is satisfied that the Company is no longer required to pursue the objectives for which it has been set-up or is convinced that it is unable to manage its affairs as per provisions made hereunder these Articles and in accordance with law. For winding up, the President shall issue a gazette notification which will also spell out the manner in which the assets and liabilities of the Company will be, disposed of and/or handled. |
|--|--|

## **XXII. SECRECY CLAUSE**

- |                |   |
|----------------|---|
| SECRECY CLAUSE | 92. No member shall be entitled to require discovery of or any information respecting any detail of the Company's activities which in the opinion of the Board it will be inexpedient in the interest of the members of the Company to communicate to the public. |
|----------------|---|

## XX. सूचनाएं

- सदस्यों को सूचनाएं किस तरह दी जाएंगी 86. कम्पनी द्वारा किसी सदस्य को सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उसके पंजीकृत पते पर भेजकर दी जा सकती है।
- कब विज्ञापन द्वारा सूचना दी जा सकती है 87. यदि किसी सदस्य को कोई पंजीकृत पता नहीं है तथा उसने उसे सूचनाएं देने के लिए कम्पनी को कोई पता उपलब्ध नहीं कराया है, तो उसको संबोधित तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के आस-पास वितरित होने वाले समाचार पत्र में विज्ञापित सूचना, जिस दिन विज्ञापन प्रकाशित होता है, उस दिन उसे विधिवत् दी हुई समझी जाएगी।
- संयुक्त धारकों को सूचना 88. कम्पनी द्वारा एक शेयर के संयुक्त धारक को सूचना देकर सूचना दी जा सकती है, जिसका नाम शेयर से संबंधित पंजिका में पहले दर्शाया गया है।
- सूचना कैसे हस्ताक्षरित की जाएगी 89. कम्पनी द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित रूप में किए जा सकते हैं।
- सूचना की अवधि की गणना कैसे की जाएगी 90. जहां दिए गए दिनों की संख्या वाली एक सूचना या किसी अन्य अवधि एक विस्तार वाली सूचनाएं दी जानी अपेक्षित हैं, वहां वितरण का दिन, जब तक अन्य प्रकार से उल्लिखित न हों, ऐसे दिनों की संख्या या अन्य अवधि में गिना जाएगा।

## XXI. समापन

- समापन पर परिसम्पत्तियों का वितरण 91. यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है जिन उद्देश्यों के लिए कम्पनी स्थापित की गई थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए अब इसकी और आगे जरूरत नहीं है या उन्हें विश्वास हो जाए कि यह इन अनुच्छेदों के तहत बने प्रावधानों के अनुसार तथा कानून के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो वह कम्पनी का समापन कर सकते हैं। राष्ट्रपति समापन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेंगे जो उस रीति को भी स्पष्ट करेगी जिसमें कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का निपटान तथा संचालन किया जाएगा।

## XXII. गोपनीयता संबंधी खण्ड

- गोपनीयता संबंधी खण्ड 92. कोई सदस्य कम्पनी की गतिविधियों के ऐसे किसी विस्तृत विवरण प्राप्त करने या इस संबंध में ऐसी किसी सूचना की मांग करने का हकदार नहीं होगा जिसका मंडल की राय में, जनता तक पहुंचना, कम्पनी के सदस्यों हित में अलाभकर होगा।

### XXIII. INDEMNITY

#### INDEMNITY

93. Subject to the provision of Section 201 of the Act every Director, Manager, Auditor, Secretary and other Officer or Servant of the Company shall be indemnified by the Company and it shall be the duty of Directors out of the funds of the Company to pay all costs, losses and expenses which any such Officer or Servant may incur or become liable to by reason of any contract entered into, or act or thing done by him as such Officer or Servant, or in any way in the bonafide discharge of his duties; and the amount for which indemnity is provided shall immediately attach as a lien of the property of the Company, and have priority as between the members over all other claims.

#### INDIVIDUAL RESPONSIBILITY OF DIRECTORS

94. No Director, or other Officer of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other Director or Officer of the Company or for joining in any receipt or other act for conformity, or for any loss or expenses happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by the order of the Directors for and on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act of any person with whom any moneys securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgement or oversight on his part, or for any other loss, damage or misfortune whatever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence or dishonesty.

### XXIII. क्षतिपूर्ति

#### क्षतिपूर्ति

93. अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अधीन, कम्पनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, लेखा-परीक्षक, सचिव तथा अन्य अधिकारी या कर्मचारी की कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा निदेशकों का यह कर्तव्य होगा कि वे कम्पनी की निधियों में से उन सभी लागतों, हानियों तथा खर्चों का भुगतान करें जो ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी को, किसी संविदा में प्रवेश के कारण या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या बात के कारण या अपने कर्तव्यों के निष्कपट पालन में किसी भी तरह करने पड़े या वह इनका उत्तरदायी हो गया हो तथा वह धनराशि, जिसके लिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई है, तत्काल कम्पनी की सम्पत्ति के ऊपर ग्रहणाधिकार के रूप में सलग्न हो जाएगी और उसे सदस्यों के बीच सभी दावों के ऊपर वरीयता प्राप्त होगी।

#### निदेशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी

94. कोई निदेशक या कम्पनी का अन्य अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार नहीं होगा - कम्पनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, लापरवाहियों या चूकों के लिए या समनुरूपता की किसी प्राप्ति या अन्य कार्य से जुड़ने के लिए, या कम्पनी के लिए तथा उसकी ओर से निदेशकों के आदेश द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति के स्वत्व में न्यूनता या कमी के कारण से कम्पनी को होने वाले नुकसान या खर्चों के लिए, या किसी सुरक्षित राशि जिसमें या जिस पर कम्पनी की कोई धनराशियाँ निवेश की जाएंगी, में न्यूनता या कमी के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके पास कोई धनराशियाँ, सुरक्षित राशियाँ या चल सम्पत्तियाँ जमा की जाएंगी, दिवालियापन, त्रुटि या उल्टे-सीधे काम से पैदा हुए किसी घाटे या क्षति के लिए या उसकी ओर से निर्णय या निरीक्षण की किसी गलती से उत्पन्न किसी नुकसान, या ऐसे किसी अन्य नुकसान, क्षति या विपत्ति के लिए, जो भी हो, जो उसके पद के कार्यों के निष्पादन में घटित होगा या उससे संबंधित अनुक्रम में, जब तक कि वैसा उसकी अपनी असावधानी या कपट के कारण घटित न हुआ हो।

We, the several persons whose names and addresses are subscribed below are desirous of being formed into a Company not for profit in pursuance of these Articles of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names :

Sl. No.	Name, address, description and occupation of subscriber	Number of equity shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Name, address description and occupation of Witnesses and their signature
1	2	3	4	5
1.	President of India represented by Mrs. Usha Vohra W/o Mr. N.N. Vohra Secretary, to Govt. of India, Ministry of Welfare Shastri Bhawan, New Delhi.	Nine (9)	Sd/-	I witness that the subscribers have signed in my presence at New delhi.  Sd/- Rakesh Dhingra S/o Shri C.L. Dhingra R/o 324, Tarun Enclave, Pitampura, Delhi-110034 FICWA /6446 ACS/ 6008
2.	Sh. M.S. Pandit S/o (Late) Mr. M.M.Pandit Joint Secretary to Govt. of India Ministry of Welfare Shastri Bhawan, New Delhi.	One (1)	Sd/-	

Date : 15.11.1991

Place : New Delhi

हम, अनेक व्यक्ति जिनके नाम, पते तथा विवरण नीचे दिए गए हैं, इस संगम अनुच्छेद के अनुसरण में बिना लाभ की एक कम्पनी गठित करने के इच्छुक हैं तथा इस क्रम में हम क्रमशः अपने नामों के आगे वर्णित संख्या में कम्पनी की पूंजी के शेयर लेने को सहमत हैं:

क्रम सं.	अंशदाता का नाम पता, विवरण तथा व्यवसाय	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए समान शेयरों की संख्या	अंशदाता के हस्ताक्षर	गवाह का नाम, पता, विवरण व व्यवसाय तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1.	भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से उनकी प्रतिनिधि श्रीमती उषा वोहरा (पत्नी श्री एन.एन.वोहरा) सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	नौ (9)	ह०/-	मैं गवाही देता हूँ कि अंशदाताओं ने नयी दिल्ली में मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।  ह०/- राकेश ढींगरा (पुत्र श्री सी.एल. ढींगरा) निवासी 324, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए./6446 ए.सी.एस./6008
2.	श्री एम.एस. पंडित (पुत्र स्व. एम.एम. पंडित) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	एक (1)	ह०/-	

तिथि : 15.11.1991

स्थान : नई दिल्ली